केवल शासकीय प्रयोजनार्थ
(प्रतिवेदन क्रमांक–448)

स्व विवेक योजना के अन्तर्गत करवाये गये कार्यो की उपयोगिता एवं स्थिति का मूल्यांकन

राजस्थान सरकार
मूल्यांकन संगठन
योजना भवन,
जयपुर

अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
	निष्पादक संक्षेप	i - vii
प्रथम	अध्ययन संरचना	1 – 8
द्वितीय	प्रगति समीक्षा	9 – 13
तृतीय	निर्मित कार्यो की भौतिक स्थिति	14 – 28
चतुर्थ	सृजित रोजगार एवं सुझाव	29 – 41
	परिशिष्ठ–1	42

———

उद्‌बोधन

राज्य में प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य कारणों से बाधित क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करने व विकास कार्य कराने के लिए जिला कलक्टर्स को अनुभूत बजट सम्बन्धी समस्याओं का ध्यान में रखकर क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार अपने स्तर पर तत्काल निर्णय कर विकास कार्यों की गति दिये जाने हेतु "स्व–विवेक जिला विकास योजना" वर्ष 2005–06 से प्रारम्भ की गयी। योजना के उद्‌देश्यों यथा जन–आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य स्वीकृत कर रोजगार तथा सामुदायिक परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु राशि आवंटन के प्रावधान किये गये हैं।

योजना के मूल्यांकन से परिलक्षित हुआ है कि स्वीकृत परिसम्पत्तियों का चयन स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप एवं प्राथमिकता के आधार पर हुआ है। क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास से स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर पर सकारात्मक प्रभाव एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। योजना के क्रियान्वयन में विभिन्न स्तरों पर कार्यकारी वर्ग को अनुभूत कठिनाइयों की विवेचना करते हुए प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रतिवेदन में यथा स्थान सारगर्भित प्रासंगिक सुझाव दिये गये हैं।

मैं आशा करता हूँ कि प्रतिवेदन विभाग के लिए उपयोगी होगा।

तिथि : सितम्बर, 2010
स्थान : जयपुर

(देवेन्द्र भूषण गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव, आयोजना

आमुख

स्व–विवेक जिला विकास योजनान्तर्गत आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिये जिला कलेक्टर के पास आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराये गये है ताकि जिला कलेक्टर द्वारा स्व–विवेक से क्षेत्र में जन आकांक्षाओं के अनुरूप आधारभूत ढ़ांचा तथा तात्कालिक रोजगार सृजन कर सकें।

योजना की उपादेयता जानने बाबत मूल्यांकन हेतु न्यादर्शानुसार चयनित सात जिले यथा बाड़मेर, बून्दी, दौसा, हनुमानगढ़, राजसमन्द, धौलपुर तथा टोंक जिले के कुल 72 कार्यो का चयन कर भौतिक सत्यापन किया गया। प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यकारी विभाग से प्राप्त प्रलेख सूचनाओं, कार्यकारी अधिकारियों व जन प्रतिनिधियों तथा लाभान्वित स्थानीय श्रमिकों से साक्षात्कार कर एकत्र सूचनाओं के आधार पर सम्पादित किया गया है।

योजना क्रियान्वयन में अनुभूत कठिनाईयों का प्रतिवेदन में यथास्थान उल्लेखित करते हुए प्रभावी क्रियान्वयन हेतु व्यावहारिक सुझाव दिये गये है।

मैं आशा करता हूं कि कार्यकारी विभाग तथा विभिन्न प्रशासनिक स्तरों के लिये प्रतिवेदन उपयोगी सिद्ध होगा।

दिनांक – सितम्बर,2010 **(देवानन्द)**
स्थान – जयपुर **निदेशक एवं पदेन उप सचिव**

स्व–विवेक योजना के अन्तर्गत करवाये गये कार्यों की उपयोगिता एवं स्थिति का मूल्यांकन

निष्पादक संक्षेप

I योजना का स्वरूप :

क्षेत्र में विकास की आवश्यकता एवं आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने व रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु जिला कलक्टर्स के स्तर पर स्व–विवेक से निर्णय लेकर विकास कार्य कराये जाने हेतु वर्ष 2005–06 से स्व–विवेक जिला विकास योजना लागू की गयी। इस योजना के संचालन से विकास में समरूपता भी लायी जा सकेगी तथा बाढ़/अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में सहायता हेतु जिला कलेक्टर्स द्वारा योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आवंटित राशि व्यय की जावेगी। इस प्रकार योजनान्तर्गत एक ओर आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए जिला कलेक्टर के पास आर्थिक संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे तो दूसरी ओर क्षेत्र में जन–आकांक्षाओं के अनुरूप परिसम्पत्तियाँ एवं आधारभूत भौतिक सामुदायिक सम्पत्तियाँ उपलब्ध हो सकेगी।

राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग उक्त योजना का प्रशासनिक विभाग है तथा जिला स्तर पर जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) नोडल संस्था है।

II मूल्यांकन की आवश्यकताः

प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज की अनुशंषा पर वर्ष 2005–06 से राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित ''स्व–विवेक जिला विकास योजना'' के तहत परिसम्पत्तियों के निर्माण, उनकी उपयेागिता एवं गुणवत्ता का आंकलन करने हेतु यह अध्ययन राज्य मूल्यांकन संगठन, द्वारा किया गया है।

III अध्ययन के उद्देश्य :

अध्ययन हेतु निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये :–

(i) योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करना,
(ii) योजनान्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों की उपादेयता एवं गुणवत्ता का आकलन करना,
(iii) सृजित परिसम्पत्तियों की उपयोगिता, प्रभावों एवं रखरखाव की स्थिति ज्ञात करना,
(iv) स्थानीय समुदाय को उपलब्ध कराये गये रोजगार का आकलन करना,
(v) योजना के सफल एवं प्रभावी संचालन में आ रही कठिनाईयों को ज्ञात कर उनके निराकरण हेतु सुझावों का संकलन करना।

IV वित्तीय प्रगतिः

योजनान्तर्गत वर्ष 2005–06 में 960.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया तथा प्रत्येक जिले को 30.00 लाख रुपये आवंटित किये गये, परन्तु इस वित्तीय वर्ष में राशि व्यय नहीं की गयी। वर्ष 2006–07 में 500.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया जिसमें से बाढ़/अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों वाले 12 जिलों में जिला कलेक्टरों की माँग/आवश्यकतानुसार राशि आवंटित की गयी एवं शेष 20 जिलों में 5.00 लाख रुपये प्रत्येक जिले को आवंटित किये गये। वर्ष 2007–08 में 500.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया तथा प्रत्येक जिले को 15.625 लाख रुपये आवंटित किये गये। योजनान्तर्गजत वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक कुल 1960.00 लाख रूपये आंवटित किये गये।

V न्यादर्श चयनः

अध्ययन हेतु बहुस्तरीय न्यादर्श पद्धति को अपनाते हुए प्रथम स्तर पर योजना के प्रारम्भ वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक स्वीकृत कुल कार्यों के आधार पर प्रत्येक सम्भाग से अधिकतम कार्य वाले जिलों में से एक–एक जिले का चयन किया गया है। इस प्रकार अध्ययन हेतु कुल 7 जिले यथा– दौसा, बाड़मेर, बूँदी, टोंक, राजसमन्द, हनुमानगढ़ एवं धौलपुर का चयन किया गया। चयनित जिलों से 72 कार्यों का चयन कर भौतिक सत्यापन करते हुए 202 लाभार्थियों 79 अधिकारी/गैर अधिकारी से प्राप्त सूचना एवं मूल्यांकन दल द्वारा अवलोकित सूचना एवं राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय प्रलेख सूचनाओं के आधार पर प्रस्तुत अध्ययन प्रतिवेदन तैयार किया गया।

VI सन्दर्भ अवधिः

प्रलेखीय सूचनाएं कार्यक्रम के प्रारम्भ वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक की एकत्रित की गई। कार्यों की भौतिक स्थिति, उपयोगिता, लाभार्थी, अधिकारी/गैर अधिकारी एवं श्रमिकों के विचार सर्वे दिनांक से सम्बन्धित है।

VII राज्य स्तरीय भौतिक एवं वित्तीय प्रगतिः

योजनान्र्तगत वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक कुल राशि 4009.35 लाख की राशि योजनान्र्तगत कार्यो हेतु उपलब्ध थी। जिसमे पिछले वर्ष की शेष राशि 2049.35 लाख रूपये सम्मलित थी व 1960.00 लाख रूपये की राशि वर्ष के दौरान और प्राप्त हुई। कुल प्राप्त राशि के विरूद्व राशि 1551.35 व्यय की गयी व राशि 2458.00 शेष रही।

वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक योजनान्र्तगत कुल 988 कार्य स्वीकृत किये गये थे एवं 378 कार्य पिछले वर्ष के शेष थे। अतः कुल 1366 कार्यों में से 654 (47.88 प्रतिशत) कार्य पूर्ण किये गये। मार्च 2008 तक क्रमशः 533 (39.01 प्रतिशत) कार्य निर्माणधीन थे, 146 (10.69 प्रतिशत) कार्य प्रारम्भ नहीं हुये थे एवं 33 (2.42 प्रतिशत) कार्य निरस्त किये गये।

VIII चयनित जिलों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगतिः

चयनित जिलो में वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक कुल 306 स्वीकृत कार्यों के लिए राशि 497.91 लाख रूपये की राशि आवंटित की गई एवं 443.58 (89.09 प्रतिशत) लाख रूपये व्यय किये गये।

चयनित जिलो में वर्ष 2006–07 से 2007–08 तक 306 कार्य स्वीकृत गये थे जिसके विरूद्व कुल 265 (86.60 प्रतिशत) कार्य पूर्ण किये गये।

IX चयनित कार्य एवं उनकी प्रकृतिः

अध्ययन हेतु चयनित 7 जिलो में से बाडमेर, बूंदी, दौसा, हनुमानगढ तथा राजसमंद जिलो से 10–10 कार्यो एवं धौलपुर तथा टोंक जिलो से 11–11 कार्यों, इस प्रकार कुल 72 कार्यो का चयन किया गया। इन चयनित 72 कार्यो में से 19 कार्य चारदिवारी के, 14 कार्य कमरा अथवा शेड निर्माण के, 12 कार्य सी.सी. रोड़ निर्माण तथा सड़क पर जाली एवं रेलिंग आदि, 6 कार्य पेयजल सम्बन्धी मरम्मत के 4कार्य सामुदायिक भवन, पंचायत भवन निर्माण तथा पुलिया एवं रपट निर्माण के 3–3 कार्य, बस स्टैण्ड तथा पटवार भवन निर्माण के 2–2 कार्य तथा वृक्षारोपण, ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज, पानी निकासी तथा राजीव गांधी स्टेडियम निर्माण के 1–1 कार्य करवाये गये।

उपरोक्त विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि योजनान्तर्गत सभी कार्य सामान्य प्रकृति के ही करवाये गये है। अतः सुझाव है कि आपातकालीन आवश्यकता के कार्य भी करवाये जाने चाहिये।

X कार्य का चयन एवं अनुमोदनः

अध्ययन हेतु चयनित 72 अर्थात् शत प्रतिशत कार्यों का चयन जिला कलेक्टर द्वारा किया जाना पाया गया।

योजनान्तर्गत प्रावधानानुसार ही निर्मित कार्यों का चयन एवं अनुमोदन होना पाया गया। शत प्रतिशत लाभार्थी श्रमिकों एवं कार्यकारी वर्ग ने कार्य स्थल का चयन उपयुक्त एवं ठीक होना अवगत कराया।

XI कार्य का स्वामित्व तथा कार्यकारी एजेन्सीः

योजनान्तर्गत चयनित 72 कार्यों में से 64(88.89 प्रतिशत) कार्यों की कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत/पंचायत समिति, 4(5.56 प्रतिशत) कार्यों की पी.डब्ल्यू.डी, 2(2.78 प्रतिशत) आई.जी.एन.पी तथा 2(2.78 प्रतिशत) कार्यों की कार्यकारी एजेन्सी स्थानीय निकाय विभाग का होना पाया गया।

XII कार्यों की भौतिक स्थितिः

कुल चयनित 72 कार्यों में से 67(93.06 प्रतिशत) कार्यों का निर्माण कार्य पूर्ण तथा शेष 5(6.94 प्रतिशत) कार्यों का निर्माण कार्य प्रगति पर था। चयनित 7 जिलों में से 5 जिलों यथा बाड़मेर, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़ एवं टोंक में शतप्रतिशत कार्य पूर्ण होने पाये गये जबकि 5 निर्माणाधीन कार्यों में स 4 कार्य बून्दी तथा 1 कार्य राजसमन्द जिले के पाये गये। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि बून्दी जिले के अलावा अन्य सभी चयनित जिलों की प्रगति सन्तोषजनक पायी गयी।

XIII कार्यों हेतु जनसहयोगः

चयनित 72 कार्यों में से 66 (91.67 प्रतिशत) कार्यों में किसी प्रकार का जनसहयोग नहीं लिया गया शेष 6 (8.33 प्रतिशत) कार्यों हेतु निर्माण कार्य में जन सहयोग लिया गया। निष्कर्षतः यह का जा सकता है कि जनसहयोग की भागीदारी अत्यन्त कम है इसे बढ़ाये जाने हेतु प्रयास किये जाने चाहिये।

XIV श्रमिकों का नियोजन एवं वर्गीकरणः

चयनित कुल 72 कार्यों हेतु कुल 1839 श्रमिकों का नियेाजन किया गया। चयनित कुल श्रमिकों में से 823 (44.75 प्रतिशत) अनुसूचित जाति के, 739(40.19 प्रतिशत) अन्य जाति के एवं 277(15.06 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति के पाये गये। इसी प्रकार कुल चयनित 1839 श्रमिकों में से 713(38.77 प्रतिशत) बी.पी.एल. एवं शेष 1126(61.23 प्रतिशत) श्रमिक ए.पी.एल श्रेणी के थे। । श्रमिक नियोजन में योजनान्तर्गत करवाये गये कार्यों पर औसत गरीबी रेखा एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दोनों ही वर्गों के श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान किये गये।

XV रोजगार उपलब्धताः

चयनित 72 कार्यों हेतु अर्जित 32178 मानव दिवसों में से स्थानीय श्रमिकों द्वारा 29513 (91.72 प्रतिशत) मानव दिवस जबकि बाहरी श्रमिकों द्वारा मात्र 2665(8.28 प्रतिशत) मानव दिवस अर्जित किये गये। योजना के उद्धेश्य अनुरूप स्व विवेक योजना स्थानीय श्रमिकों को रोजगार उपलबध कराने में कारगर सिद्ध हुई है।

XVI कार्यों की गुणवत्ता एवं उपयोगः

चयनित 72 कार्यों में से 67 कार्य पूर्ण एवं 5 कार्य निर्माणाधीन पाये गये। 67 पूर्ण कार्यों में 52 (77.61 प्रतिशत) कार्यों की गुणवत्ता अच्छी, 13 (19.40 प्रतिशत) की साधारण एवं शेष 2(2.99 प्रतिशत) कार्यों की गुणवत्ता सन्तोषप्रद नहीं पायी गयी। गुणवत्ता का आंकलन, कार्यों की मौके की स्थिति को देख कर किया गया है।

65 प्रतिशत लाभार्थी श्रमिकों एवं 85 प्रतिशत कार्यकारी वर्ग ने भी निर्मित कार्यों की गुणवत्ता अच्छी होना अवगत कराया।

XVII कार्यों का उपयोगः

पूर्ण 67 कार्यों में से सर्वे दिनांक को 64(95.52 प्रतिशत) कार्यों का उपयोग किया जाना एवं 3(4.48) कार्यों का उपयोग (विद्यायल की चारदीवारी स्वीकृत नहीं होने एवं निर्मित विश्राम गृह में विद्युत फिटिंग नहीं होने एवं पानी की टंकी के ऊपर दरार पढ़ने से) नहीं होना पाया गया। अतः सुझाव है कि आवंटित राशि को ध्यान में रखकर उन्हीं कार्यों का चयन किया जावे जो निर्धारित बजट राशि में पूर्ण करवाये जा सके अथवा अन्य योजना के साथ डवटेलिंग कर या जनसहयोग से पूर्ण करवाये जावे ताकि कार्यों का पूर्णतया सदुपयोग किया जा सके।

XVIII कार्य/परिसम्पत्ति का रखरखावः

पूर्ण 67 कार्यों में से 35(52.24 प्रतिशत) कार्यों का रखरखाव ग्राम पंचायत द्वारा 32(47.76 प्रतिशत) का सम्बन्धित विभाग द्वारा करवाया जाना पाया गया।

95 प्रतिशत लाभार्थी एवं कार्यकारी वर्ग ने भी अवगत कराया कि ग्राम पंचायत एवं जन समुदाय द्वारा निर्मित कार्यों का रखरखाव अच्छी तरह से किया जा रहा है।

XIX कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण होने का समयान्तरालः

पूर्ण निर्मित 67 कार्यों में से 18 (26.87 प्रतिशत) कार्य एक माह में, 13(19.40 प्रतिशत) कार्य 1–2 माह, 9(13.43 प्रतिशत) कार्य 2–3 माह, 10 (14.93 प्रतिशत) कार्य 3–4 माह, 3(4.48 प्रतिशत) कार्य 4–5 माह 2(2.98 प्रतिशत)कार्य 5–6 माह तथा 7(10.45 प्रतिशत) कार्य 6 से अधिक माह में पूर्ण होने पाये गये। 5(7.46 प्रतिशत) के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पायी।

कार्य पूर्ण होने मे विलम्ब का प्रमुख कारण परिसम्पतियों के निर्माण हेतु कार्य स्थल पर विवाद/अतिक्रमण, श्रमिकों का फसल कटाई एवं अन्य योजनाओं में अपेक्षाकृत अधिक मजदूरी दर प्राप्त होने के कारण उपलब्ध नहीं होना पाया गया।

अतः सुझाव है कि अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही कर भू–अतिक्रमण को हटाया जावे एवं श्रमिकों की मजदूरी दर बढ़ाई जानी चाहिये। ताकि कार्य समय पर पूर्ण किये जा सके।

XX कठिनाइयां एवं सुझावः

1 योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों के विपरीत आवंटित राशि अपर्याप्त एवं प्रथम किश्त की राशि कम होती है अतः सुझाव है कि आवंटित राशि पर्याप्त मात्रा में एक मुश्त उपलब्ध करायी जानी चाहिये ताकि कार्य समय पर निर्बाध रूप से पूर्ण करवाये जा सके।

2 श्रमिकों की मजदूरी दर नरेगा योजना एवं बाजार दर से कम होने के कारण श्रमिक अन्य योजनाओं में काम करने में रूचि रखते है, श्रमिक उपलब्ध नहीं होते हें अतः सुझाव है कि मजदूरी दर संशोधित कर नरेगायोजना के समकक्ष की जावे।

3 योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य कम होने के कारण रोजगार के कम अवसर प्राप्त होते है अतः योजनान्तर्गत अधिक कार्य स्वीकृत किये जाने चाहिये ताकि रोजगार सृजन मे वृद्धि हो सके।

4 ग्रामीण क्षेत्रों मे पानी की कमी होने के कारण जल संरक्षण के कार्य अधिक करवाये जाने चाहिये।

5 पंचायत समिति स्टाफ/कनिष्ठ अभियन्ता के पद रिक्त रहने के कारण कार्य उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर तैयार करके प्रेषित करने में कठिनाई आती है। अतः रिक्त पदों को समय पर भरा जाना चाहिये।

6 कार्य पूर्ण होते ही मूल्यांकन करवाया जाना चाहिये ताकि अन्तिम किश्त का भुगतान प्राप्त करने में विलम्ब न हो एवं राशि का समायोजन हो सके।

7 कार्यों का समय समय पर आकस्मिक निरीक्षण भी किया जाना चाहिये ताकि कार्य की गति एवं गुणवत्ता में शिथिलता न आ सके।

XXI निष्कर्षः

अध्ययन हेतु चयनित लाभार्थियों एवं कार्यकारी वर्ग द्वारा उपलब्ध सूचनाओं तथा मूल्यांकन दल के अवलोकन से यही निष्कर्ष निकलता है कि योजनान्तर्गत स्वीकृत परिसम्पतियों का चयन स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप एवं प्राथमिकताओं के आधार पर हुआ है, योजनान्तर्गत निर्मित कार्यों से क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास से स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर पर सकारात्मक प्रभाव एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए है। परिसम्पतियों के निर्माण की गुणवत्ता भी सन्तोषप्रद पायी गयी लेकिन कुछ स्वीकृत कार्यों के समय पर पूर्ण नहीं होने के कारण आधारभूत विकास की अवधारणा के अपेक्षित प्रभाव परिलक्षित नहीं हो पाये है। अतः सम्पतियों के निर्माण के पश्चात् शीघ्र सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरण किया जावे। वर्तमान में अपूर्ण कार्य शीघ्र पूर्ण करवाये जाने चाहिये ताकि सृजित कार्यों का समुचित उपयोग हो सके। आपातकालीन स्थति जैसे आग, भूकम्प, बाढ़/ अतिवृष्टि से राहत के कार्य प्राथमिकता से करवाये जाने चाहिये। राज्य एवं जिला स्तर पर नोडल विभागों में समन्वय सुदृढ़ कर पुख्ता मोनिटरिंग की व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि योजना क्रियान्वयन गतिशील हो सके।

———

अध्याय – प्रथम

अध्ययन संरचना

1.1.0 **पृष्ठ भूमि :**

1.1.1 स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के समन्वयन से पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से चरणबद्ध रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिये आधारभूत संरचनाओं के निर्माण, रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम, आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध कराने हेतु विशिष्ठ कल्याणकारी/विकास योजनाओं का सृजन कर उन्हें मूर्तरूप देने का भरसक प्रयास किया है। ग्रामीण विकास को और अधिक प्राथमिकता एवं विशेष महत्व देते हुए वर्ष 1971 में विशिष्ट योजना संगठन की स्थापना की गयी। वर्ष 1979 में पुर्नगठन के साथ–साथ इसका कार्य क्षेत्र बढ़ाकर इसे ''विशिष्ट योजनाऐं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग'' का नाम दिया। 1अप्रेल,1999 को इस विभाग का नाम ''ग्रामीण विकास विभाग'' किया गया। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित अधिकांश योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। योजनाओं/कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन एवं संचालित गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायत राज विभाग का विलय किया गया। वर्तमान में इस विभाग का नाम ''ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग'' है।

1.1.2 राज्य में ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के विकासात्मक असन्तुलन को दूर करने एवं ग्रामीण क्षेत्रों को अपेक्षित प्राथमिकता देने की दृष्टि से स्थायी विकास को लक्ष्य में रखकर कमजोर और उपेक्षित वर्गों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रामीण विकास हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, आवासहीन का आवास एवं शोषित को सम्बल देने सम्बन्धित कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वयन एवं जनता की भागीदारी को प्रोत्साहन दिया गया है जिससे क्षेत्रीय विषमताऐं दूर हो सके।

1.1.3 जिला स्तर पर स्थानीय संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए विभिन्न क्षेत्रों के विकास में समरूपता प्राप्त करने एवं निवेश के विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से राज्य में वर्ष 1988–89 से ''निर्बन्ध राशि योजना'' प्रारम्भ की गई। इस योजनान्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ–साथ रोजगार सृजन के भी

अवसर उपलब्ध करवाये गये। निर्बन्ध राशि योजनान्तर्गत जिलों के जिला कलक्टर को क्षेत्र की आवश्यकता एवं आपातकालीन परिस्थितियों में जन–आकांक्षाओं के अनुरूप कार्यों के क्रियान्वयन के लिए जिला कलक्टर द्वारा अधिकतम 5.00 लाख रुपये स्वीकृत किये जाते रहे हैं। वर्ष 2000–2001 से इस योजनान्तर्गत बजट प्रावधान नहीं होने के कारण यह योजना बन्द कर दी गई।

1.1.4 राज्य में पुनः एक ऐसी योजना की आवश्यकता थी जिसके तहत जिला कलक्टर क्षेत्र की आवश्यकता एवं आपातकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जन–आकांक्षाओं के अनुरूप स्व–विवेक से अपने स्तर पर निर्णय लेकर विकास कार्य करा सकें। राज्य में प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य कारणों से क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करने व विकास कार्य कराने के लिए जिला कलक्टर्स को बजट सम्बन्धी समस्याओं का सामना करना पड़ता है फलस्वरूप क्षेत्र की आवश्यकता के बावजूद भी वे अपने स्तर से निर्णय कर विकास कार्य स्वीकृत नहीं कर सकते हैं। अतः वर्ष 2005–06 के बजट में की गयी घोषणानुसार राज्य में स्व–विवेक जिला विकास योजना लागू की गयी।

1.2.0 स्व–विवेक जिला विकास योजना का स्वरूप :

1.2.1 क्षेत्र में विकास की आवश्यकता एवं आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने व रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु जिला कलक्टर्स के स्तर पर स्व–विवेक से निर्णय लेकर विकास कार्य कराये जाने हेतु वर्ष 2005–06 से स्व–विवेक जिला विकास योजना लागू की गयी। इस योजना के संचालन से विकास में समरूपता भी लायी जा सकेगी तथा बाढ़/अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में सहायता हेतु जिला कलेक्टर्स द्वारा योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आवंटित राशि व्यय की जावेगी। इस प्रकार योजनान्तर्गत एक ओर आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए जिला कलेक्टर के पास आर्थिक संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे तो दूसरी ओर क्षेत्र में जन–आकांक्षाओं के अनुरूप परिसम्पत्तियाँ एवं आधारभूत भौतिक सामुदायिक सम्पत्तियाँ उपलब्ध हो सकेगी।

1.2.2 योजना के उद्देश्य :

(i) जिला कलक्टर द्वारा क्षेत्र की आवश्यकता एवं उत्पन्न आपातकालीन परिस्थितियों में क्षेत्र में जन–आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य स्वीकृत कर रोजगार के अवसर सृजित करना।
(ii) सामुदायिक परिसम्पत्तियों एवं अन्य आधारभूत भौतिक सम्पत्तियों का सृजन।
(iii) स्थानीय समुदाय को रोजगार की उपलब्धता एवं उनके जीवन स्तर में सुधार।

1.2.3 योजना की विशेषताऐं :

(i) यह राज्य वित्त पोषित योजना है।

(ii) यह राज्य के ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू की गई है।

(iii) योजनान्तर्गत उपलब्ध राशि के लिए कार्यों की स्वीकृति जिला कलक्टर द्वारा योजना के दिशा–निर्देशानुसार द्वारा जारी की जाती है।

(iv) इस योजना का अन्य योजनाओं के साथ डबटेलिंग किया जा सकता है।

(v) इस योजनान्तर्गत जन–सहयोग से प्राप्त राशि का भी उपयोग किया जा सकता है।

1.2.4 योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्य :

(i) स्थानीय समुदाय के लाभ एवं उपयोगिता का कोई भी सार्वजनिक कार्य कराया जा सकता है जिसमें सामुदायिक परिसम्पत्तियों/ आधारभूत भौतिक सुविधाओं के सृजन के साथ–साथ क्षेत्रीय विकास व रोजगार के अवसर भी सृजित हो।

(ii) सम्बन्धित जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थानीय जन–आंकाक्षाओं के अनुरूप जनोपयोगी कार्य करवाये जा रहे हैं।

(iii) उन्हीं कार्यों को स्वीकृत करने में प्राथमिकता दी जावेगी जिनके लिये राज्य सरकार की वार्षिक योजना में साधारणतया धनराशि या तो नहीं मिलती हो या अपर्याप्त राशि ही मिल पाती हो।

(iv) योजना में केवल ऐसे कार्यों पर ही राशि व्यय की जा सकेगी जिससे सृजित होने वाली परिसम्पत्तियाँ किसी राजकीय विभाग या पंचायती राज संस्था के स्वामित्व की हो।

(v) पेयजल हेतु हैण्डपम्प/ट्यूबवैल/नलकूप सम्बन्धित कार्य, सड़क निर्माण, राजकीय शिक्षण संस्थाओं के लिए भवन निर्माण, सम्पर्क सड़क, पुलिया/रपट निर्माण, पर्यटन स्थलों पर आधारभूत सुविधायें, चिकित्सालय/ डिस्पेन्सरी भवन निर्माण, पशु चिकित्सालय भवन निर्माण, पुस्तकॉलय भवन, सार्वजनिक शौचालय निर्माण आदि कार्य कराये जा सकते हैं।

1.2.5 **योजनान्तर्गत नहीं कराये जा सकने वाले कार्य :**

(i) किसी भी पंजीकृत संस्था/ट्रस्ट को स्वयं की परिसम्पत्तियाँ बनाने के लिये राशि स्वीकृत नहीं की जाती है।

(ii) इस योजनान्तर्गत निम्नलिखित कार्यों हेतु राशि स्वीकृत नहीं की जाती है :–

अ– अनुदान एवं ऋण।
ब– वाणिज्यिक संगठन/निजी संस्था के लिए परिसम्पत्ति।
स– केवल वस्तु/सामान की खरीद।
द– भूमि के लिए अधिग्रहण एवं अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा।
य– व्यक्तिगत लाभ के लिए परिसम्पत्ति।
र– धार्मिक पूजा स्थल।

(iii) आवर्तक व्यय।

1.2.6 **कार्यों की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन :**

(i) स्व–विवेक जिला विकास योजना की स्वीकृति व क्रियान्वयन का राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग नोडल विभाग है तथा जिला स्तर पर जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) नोडल एजेन्सी है।

(ii) स्व–विवेक जिला विकास योजनान्तर्गत जिला कलक्टर को उपलब्ध बजट की सीमा में जन–आंकाक्षाओं के अनुरूप सार्वजनिक उपयोग के कार्यों के लिए राशि स्वीकृत करने का अधिकार है तथा जिला कलेक्टर द्वारा वित्तीय वर्ष में उपलब्ध करायी गई राशि तक के कार्य उसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत करने होते हैं अन्यथा राशि लैप्स मान ली जाती है।

(iii) जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृति के उपरान्त विकास कार्यों की क्रियान्विति ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2004 के प्रावधानों के अनुसार सक्षम स्तर से जारी की जाती है।

(iv) स्वीकृत कार्यों का क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ही कराया जाता है। विशेष परिस्थितियों में कार्य सम्बन्धित विभाग द्वारा भी ग्रामीण कार्य निर्देशिका की अनुमोदित दरों पर करवाये जा सकते हैं, परन्तु इसके लिए किसी प्रकार के प्रोरेटा चार्जेज देय नहीं होते हैं।

1.2.7 **प्रबोधन व्यवस्था :**

(i) निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण विभाग द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2004 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप किया जाता है।

(ii) इस योजनान्तर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला परिषद द्वारा योजनान्तर्गत अर्जित की जाने वाली मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिमाह निर्धारित प्रारूप में ग्रामीण विकास विभाग को माह समाप्ति के बाद 8 दिवस में तथा त्रैमासिक प्रगति प्रत्येक त्रैमास समाप्ति के 15 दिवस में भिजवानी होती है।

1.2.8 **धनराशि का अवमोचन :**

(i) राज्य स्तर से योजना मद की राशि प्रति वर्ष लेखानुदान/बजट पारित होने के बाद प्रत्येक जिले को वार्षिक आवंटन का 50 प्रतिशत अंश प्रथम किश्त के रूप में जिला परिषद (ग्रामीण प्रकोष्ठ) को अवमुक्त किया जायेगा बशर्ते जिले में गत वित्तीय वर्ष में योजनान्तर्गत उपलब्ध रही कुल राशि (गत वित्तीय वर्ष के एक अप्रेल का अवशेष + चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त राशि) के 60 प्रतिशत या इससे अधिक व्यय कर लिया हो। शेष 50 प्रतिशत राशि जिले द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में उनके यहाँ उपलब्ध रही राशि (गत वित्तीय वर्ष के एक अप्रेल का अवशेष + चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त प्रथम किश्त की राशि) 60 प्रतिशत से अधिक व्यय करने तथा द्वितीय किश्त प्राप्त करने हेतु क्लेम मय गत वर्ष की सी.ए. ऑडिट रिपोर्ट व उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर जारी की जावेगी। जिले के लिए किसी वित्तीय वर्ष में निर्धारित आवंटन की समस्त राशि एक किश्त में वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में जिलों को जारी किये जाने का प्रावधान है।

(ii) प्रस्तावित कार्य (अनुमत योग्य) को अन्य योजना मद की राशि के साथ डबटेलिंग कर स्वीकृत किया जा सकेगा बशर्ते उस अन्य योजना मद की राशि का प्राप्त होना सुनिश्चित हो तथा वह कार्य उस अन्य योजना मद में भी अनुमत हो।

1.2.9 **अन्य व्यवस्थाएं :**

योजनान्तर्गत कार्यों के तकमीने तैयार करना एवं उनका क्रियान्वयन, पूर्णता प्रमाण–पत्र, अभिलेख संधारण तथा परिसम्पत्तियों का ब्यौरा विभाग द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2004 के अनुरूप तैयार करवाये जाते हैं।

1.3.0 योजना का क्रियान्वयन एवं प्रगति :

1.3.1 योजना का क्रियान्वयन राज्य के सभी जिलों में वर्ष 2005–06 से किया जा रहा है। राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग उक्त योजना का प्रशासनिक विभाग है तथा जिला स्तर पर जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) नोडल संस्था है। योजनान्तर्गत वर्ष 2005–06 में 960.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया तथा प्रत्येक जिले को 30.00 लाख रुपये आवंटित किये गये, परन्तु इस वित्तीय वर्ष में राशि व्यय नहीं की गयी। वर्ष 2006–07 में 500.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया जिसमें से बाढ़/अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों वाले 12 जिलों में जिला कलेक्टरों की माँग/आवश्यकतानुसार राशि आवंटित की गयी एवं शेष 20 जिलों में 5.00 लाख रुपये प्रत्येक जिले को आवंटित किये गये। वर्ष 2007–08 में 500.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया तथा प्रत्येक जिले को 15.625 लाख रुपये आवंटित किये गये। योजनान्तर्गत कार्यक्रम के प्रारम्भ वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निम्न सारणी में दर्शायी गयी है :–

(राशि लाखों में)

वर्ष	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य संख्या	आवंटन राशि	व्यय की गयी राशि
2005–06	–	–	960.00	–
2006–07	430	44	500.00	370.65
2007–08	558	610	500.00	1180.70
योग	**988**	**654**	**1960.00**	**1551.35**

1.4.0 अध्ययन की आवश्यकता :

1.4.1 प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज की अनुशंषा पर वर्ष 2005–06 से राज्य से सभी जिलों में क्रियान्वित ''स्व–विवेक जिला विकास योजना'' के तहत परिसम्पत्तियों के निर्माण कार्य का मूल्यांकन अध्ययन राज्य मूल्यांकन संगठन, द्वारा किया गया है।

1.5.0 अध्ययन के उद्देश्य :

1.5.1 अध्ययन हेतु निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये :–

(i) योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करना,

(ii) योजनान्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों की उपादेयता एवं गुणवत्ता का आकलन करना,

(iii) सृजित परिसम्पत्तियों की उपयोगिता, प्रभावों एवं रखरखाव की स्थिति ज्ञात करना,

(iv) स्थानीय समुदाय को उपलब्ध कराये गये रोजगार का आकलन करना,

(v) योजना के सफल एवं प्रभावी संचालन में आ रही कठिनाईयों को ज्ञात कर उनके निराकरण हेतु सुझावों का संकलन करना।

1.6.0 **न्यादर्श चयन :**

1.6.1 योजना के प्रारम्भ वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक प्रगति एवं विभागीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन को बहुस्तरीय न्यादर्श पद्धति के आधार पर निम्न प्रकार से किया गया है :–

(i) प्रथम स्तर पर योजना के प्रारम्भ वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक स्वीकृत कुल कार्यों के आधार पर प्रत्येक सम्भाग से अधिकतम कार्य वाले जिलों में से एक–एक जिले का चयन किया गया है। इस प्रकार अध्ययन हेतु कुल 7 जिले यथा– दौसा, बाड़मेर, बूँदी, टोंक, राजसमन्द, हनुमानगढ़ एवं धौलपुर का चयन किया गया।

(ii) द्वितीय स्तर पर प्रत्येक चयनित जिले में मार्च, 2008 तक स्वीकृत कार्यों की संख्या के आधार पर सूची तैयार कर अधिकतम स्वीकृत वाली दो पंचायत समितियों का चयन किया गया।

(iii) तृतीय स्तर पर प्रत्येक पंचायत समिति से पांच–पांच कार्यों का चयन किया गया। इस प्रकार प्रत्येक जिले से 10 कार्यों का चयन किया गया है, अगर चयनित दो पंचायत समितियों में 10 कार्य नहीं हुए है तो तृतीय एवं चतुर्थ पंचायत समिति का चयन किया गया।

(iv) चतुर्थ स्तर पर क्षेत्रीय कार्य के दौरान चालू निर्मित कार्यों या पूर्व में पूर्ण कराये गये कार्यों में रोजगार प्राप्त करने वाले 3–3 श्रमिकों का चयन किया जाकर उनसे योजना सम्बन्धी एवं रोजगार सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की गयी।

1.7.0 **न्यादर्श आकार :**

1.7.1 संक्षेप में अध्ययन हेतु निम्न इकाईयाँ चयनित की गयी :–

क्र. सं.	चयनित संभाग	चयनित जिला	चयनित पंचायत समिति	चयनित कार्य	चयनित श्रमिक
1.	जोधपुर	बाड़मेर	2	10	30
2.	जयपुर	दौसा	2	10	30
3.	कोटा	बूँदी	2	10	30
4.	उदयपुर	राजसमन्द	2	10	30
5.	बीकानेर	हनुमानगढ़	2	10	30
6.	अजमेर	टोंक	2	10	30
7.	भरतपुर	धौलपुर	2	10	30
	योग		**14**	**70**	**210**

1.8.0 **अध्ययन अनुसूचियाँ :**

1.8.1 अध्ययन के क्षेत्रीय कार्य में निम्नलिखित अनुसूचियाँ उपयोग में ली गयी :–

1. **प्रलेख अनुसूची –** इस अनुसूची में राज्य स्तर पर तथा चयनित जिलों एवं पंचायत समितियों की योजना सम्बन्धी भौतिक एवं वित्तीय प्रगति सम्बन्धी सूचना प्राप्त की गयी। दो स्तरीय प्रलेख अनुसूची निम्न प्रकार से है :–
   (1) चयनित जिला प्रलेख अनुसूची
   (2) चयनित पंचायत समिति
   (3) राज्य प्रलेख अनुसूची

2. **कार्य अनुसूची –** इस अनुसूची में चयनित कार्य हेतु आवंटित राशि, व्यय राशि, कार्य में लगने वाले समय व कार्य की उपयोगिता सम्बन्धी जानकारी एकत्रित की गयी।

3. **श्रमिक अनुसूची –** इस अनुसूची में चयनित कार्यों या सर्वे दिनांक को चालू कार्यों में लगे श्रमिकों से योजनान्तर्गत प्राप्त रोजगार, मजदूरी एवं कार्यों के उपयोग सम्बन्धी जानकारी प्राप्त कर अंकित की गयी। श्रमिक का चयन करते समय यथा सम्भव अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला वर्ग का ध्यान रखा गया।

4. **सरकारी–गैर सरकारी अनुसूची –** इस अनुसूची में अध्ययन हेतु चयनित जिलो, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायत एवं ग्राम के परियोजना निदेशक, प्रभारी अधिकारी, विकास अधिकारी, अभियन्ता, ग्राम पंचायत सचिव, सरपंच, पटवारी एवं योजना में रूचि रखने वाले व्यक्तियों से योजना सम्बन्धी विभिन्न जानकारियों यथा कार्यों का चयन, उपयोगिता, गुणवत्ता जनसहयोग की राशि एवं कार्यक्रम के संचालन में आ रही कठिनाइयों एवं उनके निराकरण हेतु सुझाव प्राप्त किये गये।

5. **अवलोकन टिप्पणी –** अध्ययन का क्षेत्रीय कार्य करने वाले प्रत्येक अधिकारी/क्षेत्रीय कार्यकर्ता द्वारा विस्तृत अवलोकन टिप्पण प्रस्तुत किया गया। टिप्पण अध्ययन के प्रत्येक उद्देश्य/बिन्दुवार तैयार किया गया तथा टिप्पण में उन बिन्दुओं का भी समावेश किया गया जिनकी सूचना/विचार अनुसूची में नहीं आ सके।

1.9.0 **संदर्भ अवधि :**

1.9.1 अध्ययन से सम्बन्धित प्रलेख सूचना कार्यक्रम के प्रारम्भ वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक एकत्रित की गयी। कार्यों की भौतिक स्थिति, उपयोगिता, अधिकारियों/गैर अधिकारियों एवं श्रमिकों से विचार सर्वे दिनांक के है।

————

अध्याय – द्वितीय
प्रगति समीक्षा

2.0 राज्य में विकास की आवश्यकताओं एवं आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने व रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु जिला कलेक्टर के स्तर पर स्व–विवेक से निर्णय लेकर विकास कार्य करवाये गये जिसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण इस अध्याय में निम्न मदो में दिया जा रहा है।

2.1 राज्य स्तरीय वित्तीय प्रगति विवरणः

2.1.1 योजनान्तर्गत वर्षवार आवंटन एवं व्यय राशि का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है। **(राशि लाखों में)**

क्र. सं.	**वर्ष**	**पिछले वर्ष की शेष राशि**	**चालू वर्ष मे आवंटित राशि**	**योग**	**व्यय**	**शेष राशि**
1	2005–06*	–	960.00	960.00	–	960.00
1	2006–07	960.00	500.00	1460.00	370.65	1089.35
2	2007–08	1089.35	500.00	1589.35	1180.70	408.65
	योग	**2049.35**	**1960.00**	**4009.35**	**1551.35**	**2458.00**

***नोटः** वर्ष 2005–06 में कोई कार्य स्वीकृत नहीं हुआ अतः कोई व्यय भी नहीं किया गया।

2.1.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण में स्पष्ट होता है कि योजनान्तर्गत वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक कुल राशि 4009.35 लाख की राशि योजनान्तर्गत कार्यो हेतु उपलब्ध थी। जिसमे पिछले वर्ष की शेष राशि 2049.35 (51.1 प्रतिशत) लाख रूपये सम्मलित थी व 1960.00 (48.9 प्रतिशत) लाख रूपये की राशि वर्ष के दौरान और प्राप्त हुई। कुल प्राप्त राशि के विरूद्व राशि 1551.35(38.7 प्रतिशत) व्यय की गयी व राशि 2458.00 (61.3 प्रतिशत) शेष रही।

2.2 राज्य स्तरीय भौतिक प्रगति का विवरण :

2.2.1 स्व विवेक योजनान्तर्गत वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक की गयी प्रगति का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है।

क्र.सं.	**वर्ष**	**स्वीकृत कार्य**			**पूर्ण कार्य**	**निर्माणाधीन कार्य**	**कार्य प्रारम्भ नही**	**निरस्त कार्य**
		पिछले वर्ष के शेष कार्य	चालू वर्ष में स्वीकृत कार्य	योग				
1	2005–06	–	–	–	–	–	–	–
2	2006–07	–	430	430	44	292	86	8
3	2007–08	378	558	936	610	241	60	25
	योग	**378**	**988**	**1366**	**654**	**533**	**146**	**33**

नोटः वर्ष 2005–06 में कोई कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है।

2.2.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक योजनान्तर्गत कुल 988 कार्य स्वीकृत किये गये थे एवं 378 कार्य पिछले वर्ष के शेष थे। अतः कुल 1366 कार्यों में से 654 (47.88 प्रतिशत) कार्य पूर्ण किये गये। मार्च 2008 तक क्रमशः 533 (39.01 प्रतिशत) कार्य निर्माणधीन थे, 146 (10.69 प्रतिशत) कार्य प्रारम्भ नहीं हुये थे एवं 33 (2.42 प्रतिशत) कार्य निरस्त किये गये ।

2.3 चयनित जिलों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगतिः

2.3.1 अध्ययन हेतु चयनित जिलो में योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य आवंटन, व्यय का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है।

(राशि लाखों में, कार्य संख्या में)

क्र स	जिला	वर्षवार विवरण											
		2005–06			2006–07			2007–08			योग		
		स्वीकृत कार्य	आवंटन	व्यय	स्वीकृत कार्य	आवंटन	व्यय	स्वीकृत कार्य	आवंटन	व्यय	स्वीकृत कार्य	आवंटन	व्यय
1	टोंक	–	–	–	27	25.70	20.07	10	15.85	14.57	37	41.55	34.64
2	हनुमानगढ	–	–	–	4	15.90		27	27.95	34.63	31	43.85	34.63
3	बूंदी	–	–	–	3	5.00	5.10	23	36.18	23.83	26	41.18	28.93
4	राजसमन्द	–	–	–	28	46.00	45.30	8	16.33	11.55	36	62.33	56.85
5	धौलपुर	–	–	–	19	33.70	33.70	10	15.75	13.80	29	49.45	47.50
6	दौसा	–	–	–	5	21.00	20.51	58	29.85	27.79	63	50.85	48.30
7	बाडमेंर	–	–	–	70	173.74	162.04	14	34.96	30.69	84	208.70	192.73
	योग	**–**	**–**	**–**	**156**	**321.04**	**286.72**	**150**	**176.87**	**156.86**	**306**	**497.91**	**443.58**

सूचना स्त्रोत– जिला परिषदों से प्राप्त सूचना

2.3.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलो में वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक कुल 306 कार्य स्वीकृत किये गये जिसके लिए राशि 497.91 का आवंटन किया गया आवंटित राशि के विरूद्व राशि 443.58 लाख (89.09 प्रतिशत) व्यय किया गया।

2.4 चयनित जिलो मे योजनान्तर्गत स्वीकृत/पूर्ण कार्यो का विवरण :

2.4.1 अध्ययन हेतु चयनित किये गये जिलों में स्वीकृत एवं पूर्ण किये गये कार्यो का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिले	2006–07		2007 –08		योग	
		स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य
1	टोंक	27	19	10	9	37	28
2	हनुमानगढ	4	0	27	30	31	30
3	बूंदी	3	3	23	12	26	15
4	राजसमन्द	28	28	8	6	36	34
5	धौलपुर	19	0	10	18	29	18
6	दौसा	5	5	58	52	63	57
7	बाडमेंर	70	69	14	14	84	83
	योग	**156**	**124**	**150**	**141**	**306**	**265**

नोट– 2005–06 मे कोई कार्य स्वीकृत नही हुऐ थे इसलिए सूचना नही दर्शायी गयी।

सूचना स्त्रोत– जिला परिषदों से प्राप्त सूचना

2.4.2 उपरोक्त तालिका से ज्ञात है कि चयनित जिलो में कुल 306 कार्य वर्ष 2006–07 से 2007–08 तक स्वीकृत किये गये थे जिसके विरूद्व कुल 265 (86.60 प्रतिशत) कार्य पूर्ण किये गये जिससे स्पष्ट होता है कि स्वीकृत कार्यो के विरूद्व प्रगति ठीक रही।

प्रतिवेदन में जिलों के प्रभारी अधिकारियों द्वारा प्रलेख अनुसूची में प्राप्त सूचना को शामिल किया गया है। विभाग से प्राप्त सूचना एवं जिलों से प्राप्त सूचना में काफी भिन्नता पाई गयी है जो मॉनिटरिंग व्यवस्था में समन्वय का अभाव दर्शाता है। मॉनिटरिंग व्यवस्था पुख्ता की जावे ताकि विभाग एवं जिलों की सूचना में समानता लाई जा सके।

2.5 अध्ययन हेतु चयनित पंचायत समीति का विवरण :

2.5.1 अध्ययन हेतु चयनित की गयी पंचायत समीतियों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित पंचायत समीति	ग्रामो की सं.	कार्य स्वीकृति कितने ग्रामो में	कार्य एवं स्थल का चयन ग्रामसभा के माध्यम से	
					हॉ	नही
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	टोंक	टोडारायसिंह	148	7	7	–
		देवली	174	11	11	
2	हनुमानगढ	हनुमानगढ	1153	19	19	–
		भादरा	211	6	6	–
3	बूंदी	हिन्डोली	185	3	–	3
		बून्दी	NA	15	–	15
4	राजसमन्द	राजसमन्द	142	12	–	12
		खमनोर	192	6	6	–
5	धौलपुर	बसेडी	269	7	7	–
		धौलपुर	330	9	9	9
6	दौसा	दौसा	234	19	19	–
		सिकराय	139	10	10	–
7	बाडमेंर	शिव	267	19	19	–
		बायतू	324	20	20	–
	योग	**14**	**3768**	**163**	**133**	**30**

2.5.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलो मे 14 पंचायत समितियां अध्ययन हेतु चयनित की गयी जिनमें कुल ग्रामों की संख्या 3768 है। चयनित पंचायत समितियों में 163 ग्रामो में कार्य स्वीकृत कियें गये जिसमें से 133 (81.60 प्रतिशत) ग्रामो में ग्रम सभा के माध्यम से कार्य स्वीकृत हुये एवं शेष 30 (18.40 प्रतिशत) नही हुए। ये 30 कार्य अन्य विभागों (पी.डब्ल्यू.डी., समाज कल्याण, शिक्षा विभाग, खेल विभाग) की अनुशंषा पर करवाये गये।

2.6. अध्ययन कार्यो के तकमीना के सम्बन्ध में :

2.6.1 अध्ययन में पाया गया कि चयनित 14 पंचायत समितियों में से 10(71.43 प्रतिशत) द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता से तकमीना तैयार करवाया गया। 3(21.43 प्रतिशत) द्वारा सहायक अभियन्ता से तकमीना तैयार करवाया गया एवं केवल 1(7.14 प्रतिशत) ने अधिशाषी अभियन्ता से तकमीना तैयार करवाना व्यक्त किया ।

2.7 दस्तावेजो एवं औपचारिकताओं की पूर्ति के सम्बन्ध में :

2.7.1 सर्वेक्षण में चयनित ग्रामो में कार्यो की स्वीकृति हेतु दस्तावेजो व औपचारिकताओं के सम्बन्ध मे प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति हेतु जिला कलेक्टर के पास भेजने हेतु किन–किन दस्तावेजों एवं औपचारिकताओं की पूर्ति करवायी जाती है, के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने पर चयनित 14 पंचायत समितियों मे से क्रमशः 9(64.28प्रतिशत) पंचायत समितियों ने तकमीना, 4 (28.57 प्रतिशत) ने तकनीकी स्वीकृति, 9 (64.28 प्रतिशत) ने ग्राम सभा से पारित प्रस्ताव एवं 5 (35.71 प्रतिशत) ने स्थल के पट्टा के दस्तावेजो की औपचारिकता पूर्ण करना व्यक्त किया। इसके अतिरिक्त कार्य का प्लान, कार्य प्रारम्भ से पूर्व स्थल का फोटो इत्यादि की अनिवार्यता की औपचारिकता पूर्ण करना भी व्यक्त किया। शेष 1 (7.14 प्रतिशत)ने कोई उत्तर नही दिया।

2.8 चयनित ग्रामो में स्वीकृत कार्यो हेतु आवंटन/व्यय का विवरण :

2.8.1 चयनित जिलों के चयनित ग्रामों में स्वीकृत कार्यो हेतु आवंटित राशि व व्यय का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित पंचायत समीति	स्वीकृत कार्यो का विवरण			प्राप्त राशि का विवरण (राशि लाखों में)					
			2006–07	2007–08	योग	2006–07		2007–08		योंग	
						स्वीकृत	व्यय	स्वीकृत	व्यय	स्वीकृत	व्यय
1	टोंक	टोडारायसिंह	3	4	7	1.50	1.50	1.99	1.99	3.49	3.49
		देवली	10	1	11	22.50	21.92	3.50	1.85	26.00	23.77
2	हनुमानगढ	हनुमानगढ	–	19	19	–	–	27.86	27.86	27.86	27.86
		भादरा	1	5	6	2.50	2.50	5.29	3.70	7.79	6.20
3	बूंदी	हिन्डोली	–	6	6	–	–	4.29	3.10	4.29	3.10
		बून्दी	–	15	15	5.10	5.10	14.01	12.06	19.11	17.16
4	राजसमन्द	राजसमन्द	12	–	12	18.62	18.62	0	0	18.62	18.62
		खमनौर	3	3	6	5.09	5.09	3.36	4.95	8.45	10.04
5	धौलपुर	बसेडी	8		8	12.45	12.45	0	0	12.45	12.45
		धौलपुर	5	4	9	8.35	8.32	15.75	22.27	24.10	30.59
6	दौसा	दौसा	4	24	29	18.00	17.51	18.07	17.46	36.07	34.97
		सिकराय	1	12	13	3.00	3.00	6.05	6.04	9.05	9.04
7	बाडमेर	शिव	13	6	19	17.75	17.75	12.00	12.00	29.75	29.75
		बायतू	20	2	22	44.75	44.69	4.08	4.08	48.83	48.77
	योग		**80**	**101**	**171**	**159.61**	**158.45**	**116.25**	**117.36**	**275.86**	**275.81**

2.8.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलो की चयनित पंचायत समितियों में वर्ष 2006–07 से 2007–08 तक कुल 171 कार्य स्वीकृत किये गये थे, जिस हेतु राशि 275.86 लाख स्वीकृत किये गये एवं जिसके विरूद्व राशि 275.81 लाख व्यय किया गया जो 99.95 प्रतिशत है। जिसका कारण धौलपुर एवं खमनोर हेतु स्वीकृत राशि के विरूद्ध व्यय अधिक होना है। सर्वेक्षण में पाया गया कि 14 पंचायत समितियो में से पंचायत समिति हिन्डोली, बून्दी, दौसा, भादरा एवं देवली में राशि का कम उपयोग किया गया जिसके क्रमश नरेगा कार्यो की अधिकता व प्राथमिकता के कारण कार्यो की गति धीमी रही कार्य प्रगति पर होने के कारण/निरस्त होने के कारण व्यय कम हुआ। क्षेत्रीय कार्य में पाया गया कि चयनित पंचायत समितियों में से 11(78.57 प्रतिशत)मे प्राप्त शत प्रतिशत राशि के कार्य स्वीकृत कर दिये गये व शेष 3(21.43 प्रतिशत) ने कोई उतर नहीं दिया।

प्रतिवेदन में चयनित जिलों की पंचायत समितियों के प्रभारी अधिकारियों द्वारा प्राप्त व्यय रारि की सूचना को प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। विभाग द्वारा प्राप्त व्यय राशि की सूचना एवं पंचायत समितियों से प्राप्त व्यय राशि की सूचना में काफी भिन्नता पाई गयी है। जो मॉनीटरिंग व्यवस्था में शिथिलता दर्शाता है। वित्तीय मामलों को गम्भीरता को देखते हुये मॉनिटरिंग व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है ताकि विभाग एवं जिलों से प्राप्त सूचना में समानता लाई जा सके।

2.9 **योजनान्तर्गत चयनित पंचायत समीतियों में की गयी भौतिक प्रगति का विवरणः**

2.9.1 अध्ययन हेतु चयनित की गयी पंचायत समितियों में वर्ष 2006–07 से 2007–08 तक की भोतिक प्रगति का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित पंचायत समिति	2006–07				2007–08			
			कुल कार्य	पूर्ण कार्य	रद्द कार्य	अपूर्ण कार्य	कुल कार्य	पूर्ण कार्य	रद्द कार्य	अपूर्ण कार्य
1	टोंक	टोडारायसिंह	3	3	–	–	4	4	–	–
		देवली	10	–	1	9	1	1	–	–
2	हनुमानगढ	हनुमानगढ	–	–	–	–	19	19		–
		भादरा	1	1	–	–	5	2	3	–
3	बूंदी	हिन्डोली	–	–	–	–	6	1	1	4
		बून्दी	–	–	–	–	15	14	–	1
4	राजसमन्द	राजसमन्द	12	12	–	–			–	
		खमनौर	3	3	–	–	3	2	–	1
5	धौलपुर	बसेडी	8	8	–	–			–	–
		धौलपुर	5	5	–	–	4	4	–	–
6	दौसा	दौसा	4	4	–	–	24	22	1	1
		सिकराय	1	1	–	–	12	12		
7	बाडमेंर	शिव	13	13	–	–	6	6	–	–
		बायतु	20	13	–	7	2	2	–	–
	योग		**80**	**63**	**1**	**16**	**101**	**89**	**5**	**7**

नोट– 2005–06 में कोई कार्य स्वीकृत नही हुआ था इसलिए नही दर्शाया गया है।

2.9.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि वर्ष 2006–07 में कुल 80 कार्य स्वीकृत किये गये थे जिसमे से वर्ष के अन्त में 63(78.75 प्रतिशत) कार्य पूर्ण किये गये एवं 1(1.25 प्रतिशत)कार्य रद्द किये गये। 16(20.00 प्रतिशत) कार्य अपूर्ण रहे। वर्ष 2007–08 में 101 कुल कार्यों में से 89(88.11 प्रतिशत) कार्य पूर्ण किये गये एवं 5(4.96 प्रतिशत) कार्य निरस्त किये गये तथा 7(6.93 प्रतिशत) कार्य अपूर्ण रहे ।

————

अध्याय : तृतीय

निर्मित कार्यो की भौतिक स्थिति

3.1.0 **परिचय :**

3.1.1 जिला विकास योजना अन्तर्गत जिला कलक्टर द्वारा क्षेत्र में विकास की आवश्यकता एवं आपातकालीन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए स्थानीय समुदाय के लाभ एवं उपयोगिता का कोई भी सार्वजनिक कार्य स्व–विवेक योजना के तहत् कराया जा सकता है जिसमें सामुदायिक परिसम्पत्तियों/आधारभूत भौतिक सुविधाओं के सृजन के साथ–साथ रोजगार के अवसर भी सृजित हो सकें। योजनान्तर्गत सृजित परिसम्पतियां किसी राजकीय विभाग या पंचायती राज संस्था के स्वामित्व की होती है जिसमें पेय जल हेतु हैण्डपम्प, टयूब वेल, राजकीय शिक्षण संस्थाओं के लिये भवन निर्माण, सम्पर्क सड़क, पुलिया/रपट निर्माण, सार्वजनिक शौचालय, पुस्तकालय भवन आदि कार्य सम्मलित है।

3.1.2 मूल्यांकन अध्ययन हेतु स्व–विवेक जिला विकास योजना अन्तर्गत चयनित पंचायत समितियों में वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक पूर्ण किये गये कार्यो की सूची तैयार कर उनमें चयनित कार्यो का मूल्यांकन दल द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों, पंचायत समिति के अभियन्ता, खण्ड विकास अधिकारी, सचिव आदि के साथ मौका स्थल पर भौतिक सत्यापन किया गया तथा निर्मित परिसम्पत्ति की उपयोगिता, गुणवत्ता, रख–रखाव एवं प्रभाव के विभिन्न पक्षो का आकंलन कर एकत्रित की गयी सूचना का विवरण इस अध्याय में वर्णित है।

3.2.0 **अध्ययन न्यादर्श :**

3.2.1 मूल्यांकन प्रक्रिया अन्तर्गत अध्ययन न्यादर्श अनुसार चयनित 7 जिलो की 14 चयनित पंचायत समितियों में योजनान्तर्गत संदर्भित अवधिं पूर्ण किये गये कार्यो में से 72 कार्यो का चयन किया गया जिन्हे 14 श्रेणियों में विभाजित कर उनका विश्लेषण किया गया। इस प्रकार अध्ययन हेतु कुल न्यादर्श का चयन निम्नानुसार किया गया है :–

तालिका–1

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	चयनित पं.स. का नाम	चयनित कार्यो की पं.स. वार संख्याएं	चयनित कार्यो की कुल संख्या
1	बाड़मेर	बायतू शिव	5 5	10
2	बूंदी	बूंदी हिण्डौली	5 5	10
3	दौसा	दौसा सिकराय	5 5	10
4	धौलपुर	धौलपुर बसेडी	6 5	11
5	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़ भादरा	6 4	10
6	राजसमंद	राजसमंद खमनौर	5 5	10
7	टोंक	देवली टोडारायसिंह	6 5	11
कुल	**7**	**14**	**72**	**72**

3.3.0 चयनित किये गये कार्यो का विवरण :

3.3.1 अध्ययन हेतु संदर्भित वर्षो में किये गये जिन 72 कार्यो का चयन कर भौतिक सत्यापन किया गया है। जिलेवार एवं पंचायत समितिवार चयनित कार्यों का विवरण परिशिष्ठ–1 में प्रस्तुत किया गया है।

3.3.2 उक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि योजना के मूल्यांकन हेतु अध्ययन न्यादर्श अनुसार चयनित 7 जिलो में से बाडमेर, बूंदी, दौसा, हनुमानगढ तथा राजसमंद जिलो से 10–10 कार्यो एवं धौलपुर तथा टोंक जिलो से 11–11 कार्यों, इस प्रकार कुल 72 कार्यो का चयन किया जाकर भौतिक सत्यापन किया गया। इन चयनित कार्यो में से सर्वाधिक कार्य 19 (26.39 प्रतिशत) चारदिवारी कार्य के करवाये गये जिनमें उपखण्ड कार्यालय, विद्यालय भवन, श्मशान घाट, सामुदायिक भवन, पुलिस कर्मियो के क्वार्टर तथा स्काउट गाईड मैदान की चारदिवारी कार्य सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त 14 (19.44 प्रतिशत) कार्य कमरा अथवा शेड़ निर्माण के करवाये गये जिसमें विद्यालयों में कमरा, एडवोकैट/ड्राईवर्स हेतु कमरा, जेल परिसर में शेड निर्माण, समाज कल्याण छात्रावास में कमरा मय शौचालय का निर्माण आदि कार्य सम्मिलित है। तृतीय स्थान पर सड़क निर्माण के 12 (16.67 प्रतिशत) कार्य योजनान्तर्गत करवाये गये जिसमें सी. सी. रोड़ निर्माण, मुख्य सड़क से अंदर की ओर रास्ता तथा सड़क पर जाली/ रेलिंग कार्य सम्मिलित है। इन कार्यो के अतिरिक्त पेयजल संबंधी 6 कार्य, मरम्मत के 4 कार्य,

सामुदायिक भवन, पंचायत भवन निर्माण तथा पुलिया एवं रपट निर्माण के 3–3 कार्य, बस स्टैण्ड तथा पटवार भवन निर्माण के 2–2 कार्य तथा वृक्षारोपण, ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज, पानी निकासी तथा राजीव गांधी स्टेडियम निर्माण के 1–1 कार्य निर्मित किये गये। इससे स्पष्ट है कि समस्त कार्यो में योजना के उद्देश्यों के अनुरूप ही आधारभूत/सामुदायिक सुविधाओं के विकास के साथ–साथ रोजगार सृजन के अवसर उपलब्ध कराये गये तथा योजना में उन्ही कार्यो का चयन किया गया जिससे सृजित परिसम्पत्तियां किसी राजकीय विभाग या पंचायती राज संस्था के स्वामित्व की हो।

उपरोक्त विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि योजनान्तर्गत सभी कार्य सामान्य प्रकृति के ही करवाये गये है। अतः सुझाव है कि आपातकालीन आवश्यकता के कार्य भी करवाये जाने चाहिये।

3.4.0 चयनित कार्यो की स्वीकृति :

3.4.1 अध्ययन के दौरान भौतिक सत्यापन हेतु चयनित किये गये कुल 72 कार्य योजनान्तर्गत किस–किस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत एवं निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया, तत्संबंधी जानकारी करने पर जो सूचनाऐं प्राप्त हुयी उनका वर्षवार विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :–

तालिका–2

चयनित कार्यों का स्वीकृत एवं निर्माण वर्ष

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	चयनित कार्यो की संख्या	चयनित कार्यो का स्वीकृत एवं निर्माण वर्ष				मार्च 2008 तक प्रारंभ नही किये गये कार्य (स्वीकृति वर्ष)
			2006–07		2007–08		
			स्वीकृत	निर्माण कार्य प्रारम्भ	स्वीकृत	निर्माण कार्य प्रारम्भ	
1	बाड़मेर	10	9	6	1	4	–
2	बूंदी	10	3	2	7	7	1 (06–07)
3	दौसा	10	5	0	5	10	–
4	धौलपुर	11	6	4	5	6	1 (06–07)
5	हनुमानगढ़	10	3	0	7	7	3 (06–07)
6	राजसमंद	10	9	8	1	2	–
7	टोंक	11	6	3	5	6	2 (06–07)
	योग	**72**	**41**	**23**	**31**	**42**	**7**

3.4.2 चयनित जिलों में योजनान्तर्गत करवाये गये कार्यो में से मूल्यांकन हेतु चयनित किये गये 72 कार्यो में 41 (56.94 प्रतिशत) कार्यो को वर्ष 2006–07 में स्वीकृति प्रदान की गयी जबकि शेष 31(43.06 प्रतिशत) कार्यों को वर्ष 2007–08 में स्वीकृति दी गयी।

3.4.3 वर्ष 2006–07 में स्वीकृत कार्यो में से 23 कार्यो का निर्माण प्रारम्भ/ पूर्ण कर दिया गया जबकि 42 कार्यों का निर्माण वर्ष 2007–08 में प्रारम्भ किया गया। शेष 7 (9.72 प्रतिशत) कार्यो का निर्माण कार्य वर्ष 2007–08 के अन्त तक भी प्रारम्भ नही किया गया।

3.4.4 निर्माण में समय अधिक लगने के बारे में योजना से संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों ने अवगत कराया कि कार्य स्थल पर अतिक्रमण, फसल कटाई के समय श्रमिक उपलब्धता की समस्या, निर्धारित मजदूरी दर का बाजार दर की अपेक्षा कम होना तथा आवंटित राशि की द्वितीय किश्त का समय पर नही मिलना आदि निर्माण में देरी के प्रमुख कारण रहें।

3.5.0 चयनित कार्यो पर स्वीकृत एवं व्यय राशि की स्थिति :

3.5.1 स्व–विवेक जिला विकास योजनान्तर्गत अध्ययन हेतु चयनित किये गये जिन 72 कार्यो का भौतिक सत्यापन किया गया है उनके मदवार स्वीकृत एवं व्यय राशि का विवरण निम्न सारणी में दिया गया है:–

तालिका–3

चयनित कार्यो पर स्वीकृत एवं व्यय राशि की स्थिति

(राशि लाख रूपये में)

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	चयनित पं.सं. की संख्या	कुल चयनित कार्यो की संख्या	चयनित कार्यो के लिए कुल स्वीकृत राशि	चयनित कार्यो के लिए कुल व्यय राशि			प्रतिशत
					श्रम	सामग्री	योग	
1	बाड़मेर	2	10	17.35	6.60	10.75	17.35	100.00
2	बूंदी	2	10	16.93	2.59	11.69	14.28	84.34
3	दौसा	2	10	26.15	5.54	20.12	25.66	98.13
4	धौलपुर	2	9*	18.51	4.63	13.88	18.51	100.00
5	हनुमानगढ़	2	10	27.07	5.15	21.68	26.83	99.11
6	राजसमंद	2	10	16.62	4.02	12.17	16.19	97.41
7	टोंक	2	11	16.69	3.38	13.22	16.60	99.46
	योग	**14**	**70**	**139.32**	**31.91**	**103.51**	**135.42**	**97.20**

*** सूचना स्त्रोत– कार्यो के भौतिक सत्यापन के दौरान पं.स. से प्राप्त सूचना के अनुसार। (जिला धौलपुर में 2 कार्यो की सूचना अनुपलब्ध होने के कारण 9 कार्यो की ही सूचना दी गयी है)**

3.5.2 उक्त सारणी का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अध्ययन हेतु चयनित कार्यो पर स्वीकृत राशि के अनुसार ही (97.20 प्रतिशत) व्यय किया गया है। बूंदी जिले में हिण्ड़ौली पं.स. में सर्वे दिनांक तक 4 कार्य प्रगति पर होने के कारण व्यय राशि कम हुयी हैं। चयनित जिलों मे 70 कार्यो में से प्रत्येक कार्य पर औसतन 2.00 लाख रूपये स्वीकृत किये गये तथा 1.94 लाख रूपये का व्यय किया गया है।

3.5.3 प्राप्त सूचना से यह भी परिलक्षित होता है कि स्व–विवेक योजनान्तर्गत जिन परिसम्पत्तियों का निर्माण हुआ है उसमें कुल व्यय का 23.56 प्रतिशत व्यय श्रम पर जबकि 76.44 प्रतिशत व्यय सामग्री पर किया गया है। अर्थात श्रम की अपेक्षा सामग्री पर अधिक व्यय हुआ है।

3.5.4 स्वीकृत राशि से व्यय राशि कम होने के बारे में संबंधित अधिकारी/कार्यकारियों ने अवगत कराया कि संदर्भित अवधि में निर्माण सामग्री यथा सीमेण्ट, बजरी व कंकरीट के दरों में कमी होने अथवा स्थान अभाव के कारण तकमीने से छोटा कमरा बनाये जाने के कारण कम लागत मे ही कार्य पूर्ण करवा लिया गया लेकिन अनुमोदित नक्शों में संशोधन की स्वीकृति प्राप्त होना नहीं बताया गया। अतः कार्य तकमीना मौके की स्थिति अनुसार तकनीकी अधिकारी द्वारा बनाया जावे।

3.6.0 कार्य की व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र/पूर्णता प्रमाण पत्र :

3.6.1 चयनित 72 कार्यो में से 49 (68.06 प्रतिशत) कार्यो के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषित किये जाने तथा 14 (19.44 प्रतिशत) कार्यो के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषित नही किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी तथा 9 (12.5 प्रतिशत) कार्यो हेतु इस संबंध में जानकारी नही होना अवगत कराया गया।

3.6.2 इसी प्रकार चयनित कार्यो में से 64 (88.89 प्रतिशत) कार्यो का पूर्णता प्रमाण–पत्र भिजवा दिये गये थे जबकि 8 (11.11 प्रतिशत) कार्यो के पूर्णता प्रमाण–पत्र सर्वे दिनांक तक नही भिजवाये गये थे जो निम्न तालिका से स्पष्ट होता हैः–

तालिका–4

चयनित जिलों में व्यय राशि की यू.सी./सी.सी. प्रेषण का विवरण

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	चयनित कार्यो की संख्या	क्या निर्मित कार्यो की यू.सी. भिजवायी गयी है।			क्या निर्मित कार्यो की सी. सी. भिजवायी गयी है।	
			हां	नहीं	NR	हां	नहीं
1	बाड़मेर	10	–	1	9	10	–
2	बूंदी	10	8	2	–	6	4
3	दौसा	10	9	1	–	9	1
4	धौलपुर	11	11	–	–	10	1
5	हनुमानगढ़	10	10	–	–	10	–
6	राजसमंद	10	9	1	–	8	2
7	टोंक	11	2	8	–	11	–
	योग	**72**	**49**	**14**	**9**	**64**	**8**
	प्रतिशत	**100.00**	**68.06**	**19.44**	**12.5**	**88.89**	**11.11**

3.6.3 मूल्यांकन दल द्वारा चयनित कार्यो के भौतिक सत्यापन के दौरान योजना से संबंधित कार्यकारी/अधिकारियो से विचार विमर्श से यह स्पष्ट हुआ कि जिन कार्यो की यू.सी./सी.सी. नही भिजवाई गयी उनके मुख्य कारण सर्वे दिनांक तक कार्य प्रगति पर होना, निर्माण कार्य क्षतिग्रस्त होने पर पुनः निर्माण कार्य करवाया जाना, निर्माण एजेंसी द्वारा सी.सी. जारी नही करना आदि प्रमुख है।

3.6.4 उपरोक्त विश्लेषण के पश्चात् यह सुझाव दिया जाता है कि निर्धारित समयावधि में यू.सी./सी.सी. जारी करवाने की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे निर्मित/पूर्ण कार्यो का हस्तांतरण कर जनता को समय पर उपयुक्त लाभ मिल सकें।

3.7.0 कार्य का स्वामित्व तथा कार्यकारी एजेंसी का नाम :

3.7.1 योजनान्तर्गत किये गये प्रावधान अनुसार राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग उक्त योजना का प्रशासनिक विभाग है तथा जिला स्तर पर जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) नोडल संस्था है। मूल्यांकन अध्ययन के दौरान चयनित कार्यो के भौतिक सत्यापन करते हुए भी यह जानकारी सामने आयी है कि अधिकांश कार्यो का स्वामित्व तथा कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायत ही रही है जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है:–

तालिका–5

कार्य का स्वामित्व

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	चयनित कार्यो की संख्या	कार्य का स्वामित्व										
			ग्राम पंचायत	PWD	उपखण्ड कार्यालय	शिक्षा विभाग	स्थानीय निकाय	समाज कल्याण	पुलिस विभाग	पशु केन्द्र	राजस्व विभाग	CAD IGNP	जिला स्टेडियम
1	बाड़मेर	10	8	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
2	बूंदी	10	3	2	3	–	1	–	1	–	–	–	–
3	दौसा	10	3	–	1	4	–	–	2	–	–	–	–
4	धौलपुर	11	10	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
5	हनुमानगढ़	10	4	–	–	–	–	2	–	1	–	2	1
6	राजसमंद	10	9	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
7	टोंक	11	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	योग	**72**	**48**	**2**	**4**	**6**	**2**	**2**	**3**	**1**	**1**	**2**	**1**

3.7.2 उक्त तालिका का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि योजनान्तर्गत किये गये चयनित 72 कार्यो में से 48 (66.67 प्रतिशत) कार्यो का स्वामित्व ग्राम पंचायत के पास ही है।

3.7.3 चयनित 72 कार्यो की कार्यकारी एजेंसी की जानकारी प्राप्त करने पर 64 (88.89 प्रतिशत) कार्यो की ग्राम पंचायत/पंचायत समिति, 4 (5.56 प्रतिशत) कार्यो की PWD, 2 (2.78 प्रतिशत) कार्यो की IGNP तथा 2 (2.78 प्रतिशत) कार्यो की कार्यकारी एजेंसी स्थानीय निकाय विभाग का होना अवगत कराया गया है।

3.7.4 अतः निष्कर्षतः योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो के क्रियान्वयन तथा स्वामित्व की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की ही अधिक रही है।

3.8.0 सर्वे दिनांक को कार्यो की भौतिक स्थिति :

3.8.1 मूल्यांकन अध्ययन दल द्वारा सर्वे दिनांक को योजनान्तर्गत करवाये गये 72 चयनित कार्यो की भौतिक सत्यापन करने पर भौतिक स्थिति को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

तालिका–6
सर्वेक्षण के समय चयनित कार्यों की भौतिक स्थिति

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	चयनित पं.सं. की संख्या	कुल चयनित कार्यो की संख्या	सर्वेक्षण के समय कार्यो की भौतिक स्थिति(संख्या)	
				पूर्ण	अपूर्ण/निर्माणाधीन
1	बाड़मेर	2	10	10	–
2	बूंदी	2	10	6	4
3	दौसा	2	10	10	–
4	धौलपुर	2	11	11	–
5	हनुमानगढ़	2	10	10	–
6	राजसमंद	2	10	9	1
7	टोंक	2	11	11	–
	योग	**14**	**72**	**67**	**5**

3.8.2 उक्त तालिका का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षण के समय कुल चयनित 72 कार्यो में से 67 (93.06 प्रतिशत) कार्यो का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका था जबकि शेष 5 (6.94 प्रतिशत) कार्यो का निर्माण कार्य प्रगति पर था।

3.8.3 उक्त 5 कार्य जिनका निर्माण कार्य सर्वे दिनांक तक प्रगति पर था उनमें 4 कार्य बूंदी जिले की हिण्डौली पं. स. तथा 1 कार्य राजसमंद जिले की खमनौर पं. स. के थे। इन कार्यो के समय पर पूर्ण नही होने के संबंध में जानकारी करने पर योजना के संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों ने अवगत कराया कि कार्यस्थल पर अतिक्रमण होने तथा श्रमिको के 'नरेगा' योजना के कार्यो में अधिक रूचि लेने के कारण श्रमिक अनुपलब्धता प्रमुख कारण रहें। अतः सार्वजनिक हित में अतिक्रमण स्थलों को मुक्त कराकर स्वीकृत कार्य प्रारम्भ करवाये जावें। कार्य समय पर पूर्ण करने हेतु कार्यकारी एजेन्सी द्वारा एवं ठेके से कार्य करवाये जाते है उनमे ठेकेदार को पाबन्द किया जावे तथा ठेकेदार के साथ तय शर्तों की कड़ाई से पालना करायी जावे।

3.9.0 कार्य का चयन एवं अनुमोदन :

3.9.1 स्व–विवेक विकास योजनानतर्गत कार्य का चयन क्षेत्र में विकास की आवश्यकता एवं आपातकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिला कलक्टर के स्तर पर स्व–विवेक से निर्णय लिया जाता है। अध्ययन हेतु चयनित किये गये 72 कार्यो के क्षेत्रीय कार्य के मूल्यांकन दल द्वारा भौतिक सत्यापन करने पर कार्यके चयन के संबंध में जानकारी प्राप्त करने पर शत् प्रतिशत कार्यो का चयन जिला कलक्टर द्वारा किया जाना अवगत कराया गया।

3.9.2 अध्ययन हेतु चयनित कार्यो के चयन का अनुमोदन ग्राम सभा द्वारा करवाया गया अथवा नही इस संबंध में जानकारी करने पर 52 (72.22 प्रतिशत) कार्यो के चयन का अनुमोदन ग्राम सभा द्वारा तथा 20 (27.78 प्रतिशत) कार्यो का अनुमोदन ग्राम सभा द्वारा नही कराया जाना बताया गया। जिन 20 कार्यो का अनुमोदन ग्राम सभा से नही कराया गया उनमें से 13 का चयन सीधे जिला कलक्टर से, 2 कार्यो को समाज कल्याण विभाग से जबकि 1–1 कार्य का अनुमोदन खेल विभाग, CAD, INGP, शिक्षा विभाग तथा उपखण्ड कार्यालय द्वारा किया गया।

3.9.3 चूंकि योजनान्तर्गत यह प्रावधान है कि स्वीकृत कार्यो का क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ही कराया जाता है किन्तु विशेष परिस्थितियों में कार्य संबंधित विभाग द्वारा भी ग्रामीण कार्य निर्देशिका की अनुमोदित दरों पर करवाया जा सकता है। अतः योजना अनुसार ही निर्मित कार्यो का चयन एवं अनुमोदन करवाया गया है।

3.10.0 **जन सहयोग :**

3.10.1 स्व–विवेक जिला विकास योजनान्तर्गत जन सहयोग से प्राप्त राशि का भी उपयोग किया जा सकता है। अध्ययन के दौरान चयनित कार्यो के निर्माण में जन सहयोग लिया गया अथवा नही तत्संबंध में जानकारी करने पर अवगत कराया गया कि 72 कार्यो में से 66 (91.67 प्रतिशत) में किसी प्रकार का जनसहयोग नही लिया गया तथा केवल 6 (8.33 प्रतिशत) कार्यो हेतु निर्माण कार्य में जन सहयोग लिया गया।

3.10.2 उक्त जन सहयेाग केवल धौलपुर जिले की अध्ययन हेतु चयनित दोनो पंचायत समितियों धौलपुर तथा बसेडी में योजनान्तर्गत निर्मित परिसम्पतियों के निर्माण कार्य में नकद रूप में रूपये 20,000 से 40,000 के मध्य लिया गया है।

3.10.3 अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि वर्तमान में जन सहयोग की भागीदारी अत्यन्त कम है जिसे बढाया जाना चाहिये ताकि इच्छुक व्यक्तियें/संस्थाओं का भी विकास कार्यो में योगदान अधिकाधिक बढाया जा सकें।

3.11.0 **स्वीकृत कार्यो पर श्रमिकों का नियोजन :**

3.11.1 अध्ययन दल द्वारा चयनित पंचायत समितियों में चयनित कार्यो पर योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु रोजगार उपलब्ध कराने के लिए श्रमिकों के नियोजन के संबंध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि योजनान्तर्गत करवाये गये कार्यो में सभी जाति वर्ग, लिंगानुसार तथा श्रमिकों के आर्थिक आधार पर समुचित ध्यान दिया गया है।

तालिका–7
जिलेवार नियोजित श्रमिकों का वर्गीकरण

क्र. सं.	चयनित जिलों के नाम	चयनित कार्यो की संख्या	नियोजित श्रमिकों की कुल संख्या	जाति अनुसार			लिंगानुसार		आर्थिक आधार पर	
				अनु. जाति	अनु.जन. जाति	अन्य	महिला	पुरूष	बी.पी.एल.	ए.पी.एल
1	बाड़मेर	10	244	38	66	140	70	174	84	160
2	बूंदी	10	170	95	9	66	72	98	83	87
3	दौसा	10	257	141	40	76	120	137	59	198
4	धौलपुर	11	435	178	63	194	45	390	99	336
5	हनुमानगढ़	10	95	39	0	56	2	93	13	82
6	राजसमंद	10	270	191	51	28	164	106	163	107
7	टोंक	11	368	141	48	179	161	207	212	156
	योग प्रतिशत	**72**	**1839**	**823 44.75%**	**277 15.06%**	**739 40.19%**	**634 34.48%**	**1205 65.52%**	**713 (38.77)**	**1126 (61.23)**

3.11.2 उक्त सारणी का अवलोकन करने से निम्न संकेत मिलते हैः–

(i) चयनित 7 जिलों में मूल्यंकन अध्ययन के दौरान चयनित किये गये कुल 72 कार्यो में कुल 1839 श्रमिकों का नियोजन किया गया जिसमें धौलपुर जिले में सबसे अधिक 435 (23.65 प्रतिशत) श्रमिकों को तथा हनुमानगढ़ जिले में सबसे कम 95 (5.17 प्रतिशत) श्रमिकों को ही रोजगार प्रदान किया गया।

(ii) इस संबंध में यह सुझाव दिया जाता हे कि योजनान्तर्गत श्रम प्रधान कार्यो के चयन को अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये ताकि अधिकाधिक व्यक्तियों को रोजगार मिल सकें।

(iii) चयनित जिलों में भौतिक सत्यापन हेतु चयनित 72 कार्यो में नियेाजित कुल श्रमिकों में अनुसूचित जाति वर्ग के श्रमिकों को सर्वाधिक 44.75 प्रतिशत, अनुसूचित जन जाति वर्ग को 15.06 प्रतिशत तथा अन्य जाति वर्ग के श्रमिकों को 40.19 प्रतिशत रोजगार प्रदान किया गया। राजसमंद जिले में नियोजित श्रमिकों में अनु. जाति का प्रतिशत अन्य जिलों की अपेक्षा सर्वाधिक (54.86 प्रतिशत) रहा है जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त जिले में एस.सी. वर्ग के श्रमिक अधिक निवास करते है जबकि बाडमेर जिले में सबसे कम (15.57 प्रतिशत) रहा। इसी प्रकार नियोजित श्रमिकों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार बाड़मेंर जिले में 66 (23.83 प्रतिशत) दिया गया जबकि हनुमानगढ़ जिले में एसटी वर्ग के व्यक्ति श्रम कार्य में नियोजित नहीं होना पाया गया।

(iv) उक्त सारणी से यह तथ्य भी सामने आया कि नियोजित किये गये श्रमिकों में महिला श्रमिकों (34.48 प्रतिशत) की तुलना में पुरूष श्रमिकों (65.52 प्रतिशत) की संख्या अधिक थी। केवल राजसमंद जिले में महिला श्रमिकों की संख्या पुरूष श्रमिकों से अधिक थी। समग्ररूप से मजदूरी कार्य में महिलाओं की अपेक्षा पुरूषो की भागीदारी अधिक है।

(v) स्व–विवेक जिला विकास योजनान्तर्गत करवाये गये कार्यो पर औसत गरीबी रेखा एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले दोनो ही वर्गो के श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान किये गये है जिससे निम्न आय वर्ग के लोगों को रोजगार मिलने में तथा आर्थिक रूप से जीवन स्तर ऊंचा होने की सुविधा मिली है।

3.12.0 मजदूरी का भुगतान :

3.12.1 स्व–विवेक जिला विकास योजनान्तर्गत चयनित कार्यो पर नियोजित श्रमिकों को पारिश्रमिक का भुगतान किस प्रकार किया गया, की जानकारी ज्ञात करने पर अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत शत् प्रतिशत कार्यो में केवल नकद भुगतान ही किया गया।

3.12.2 चयनित कार्यो पर श्रमिकों को समय पर भुगतान किया या नही की जानकारी करने पर शत् प्रतिशत नियोजित श्रमिकों ने अवगत कराया कि पारिश्रमिक समय पर दिया गया है।

3.13.0 रोजगार की उपलब्धता :

3.13.1 अध्ययन हेतु चयनित 72 कार्यो में नियोजित श्रमिको को रोजगार की उपलब्धता का विश्लेषण करने के लिए कार्य निर्माण अवधि में स्थानीय ग्राम तथा बाहर के श्रमिकों के मानव दिवस का आंकलन करने पर निम्न जानकारी सामने आई :–

तालिका–8

चयनित कार्यों के निर्माण अवधि में लगे श्रमिकों का विवरण(मानव दिवस)

क्र. सं.	चयनित जिलों के नाम	चयनित कार्यो की संख्या	कार्य निर्माण अवधि में लगे श्रमिकों का विवरण				
			स्थानीय श्रमिक (मानव दिवस)	बाहर के श्रमिक (मानव दिवस)	योग	कुल नियोजित श्रमिक संख्या	प्रति श्रमिक मानव दिवस
1	बाड़मेर	10	7264	54	7318	244	30
2	बूंदी	10	2107	329	2436	170	14
3	दौसा	10	5332	412	5744	257	22
4	धौलपुर	11	4297	0	4297	435	10
5	हनुमानगढ़	10	2777	1260	4037	95	42
6	राजसमंद	10	3778	564	4342	270	16
7	टोंक	11	3958	46	4004	368	11
	योग प्रतिशत	**72**	**29513 91.72%**	**2665 8.28%**	**32178 100%**	1839	17.49

3.13.2 उपरोक्त तालिका का विश्लेषण करने पर निम्न तथ्य परिलक्षित होते है :–

(1) अध्ययन हेतु चयनित समस्त 7 जिलों में रोजगार उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में बाहरी श्रमिकों के स्थान पर स्थानीय श्रमिकों को अधिक रोजगार उपलब्ध हुआ। चयनित 72 कार्यो हेतु अर्जित 32178 मानव दिवसों में से स्थानीय श्रमिकों द्वारा 29513 (91.72 प्रतिशत) मानव दिवस जबकि बाहरी श्रमिकों द्वारा मात्र 2665 (8.28 प्रतिशत) मानव दिवस अर्जित किये गये। निष्कर्षतः योजना के उद्देश्य अनुरूप स्व–विवेक योजना स्थानीय श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने में कारगर सिद्ध हुयी है।

(2) चयनित 72 कार्यो हेतु नियोजित श्रमिकों द्वारा कुल 32178 मानव दिवस का अर्जन किया गया। योजना के मूल्यांकन हेतु चयनित अध्ययन न्यादर्श के औसत के आधार पर योजनान्तर्गत प्रत्येक श्रमिक को औसतन 17 दिन का रोजागर प्राप्त हुआ है। इससे हनुमानगढ़ जिले में सर्वाधिक प्रति श्रमिक 42 दिन जबकि धौलपुर जिले में सबसे कम मात्र 10 दिन का प्रति श्रमिक मानव दिवस रोजगार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त बाड़मेर, दौसा जिलो में औसत से अधिक जबकि बूंदी, राजसमंद तथा टोंक जिलों में औसत से कम मानव दिवस का रोजगार प्रदान किया गया। अर्थात चयनित जिलो में रोजगार के अवसर कार्यों की प्रकृति के आधार पर सृजित हुए हैं।

3.14.0 चयनित कार्यो की गुणवत्ता एवं उपयोग :

3.14.1 अध्ययन हेतु क्षेत्रीय कार्य के दौरान मूल्यांकन दल द्वारा मौके पर उपस्थित होकर स्व–विवेक जिला विकास योजना के अन्तर्गत निर्मित कार्यो की स्थिति का अवलोकन किया गया तत्संबंध में प्राप्त जानकारी का जिलेवार विवरण निम्न सारणी में उपलब्ध है :–

तालिका–9

चयनित कार्यों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता

क्र. सं.	चयनित जिलों के नाम	चयनित कार्यो की संख्या	पूर्ण किये गये कार्यो की संख्या	निर्मित कार्यो की गुणवत्ता			क्या निर्मित कार्य का उपयोग हो रहा है।	
				अच्छी	साधारण	खराब	हां	नही
1	बाड़मेर	10	10	8	1	1	9	1
2	बूंदी	10	6	6	–	–	6	–
3	दौसा	10	10	8	2	–	10	–
4	धौलपुर	11	11	3	8	–	11	–
5	हनुमानगढ़	10	10	10	–	–	10	–
6	राजसमंद	10	9	9	–	–	9	–
7	टोंक	11	11	8	2	1	9	2
	योग	**72**	67	**52**	**13**	**2**	**64**	**3**

3.14.2 उपरोक्त तालिका में दर्शित सूचनाओं के विवरण से स्व–विवेक जिला विकास योजनान्तर्गत करवाये गये कार्यो की स्थिति से स्पष्ट है कि चयनित किये गये 72 कार्यो का मौके की स्थिति एवं कार्यो का भौतिक सत्यापन करने पर पाया कि चयनित 72 कार्यो में से 67 कार्य ही पूर्ण निर्मित पाये गये शेष 5 कार्य अपूर्ण/अधूरे निर्मित होने के साथ–साथ कार्यो पर निर्माण कार्य प्रगति पर था। इन अवलोकित किये गये 67 पूर्ण कार्यो में 52 (77.61 प्रतिशत) कार्यो की स्थिति अच्छी एवं 13 (19.40 प्रतिशत) कार्यो का निर्माण कार्य साधारण था जबकि 2 कार्यो का निर्माण कार्य संतोषप्रद नही था, कार्यो की भौतिक स्थिति का आंकलन कार्यो के मौके की स्थिति को देखकर किया गया है।

3.14.3 जिन–जिन कार्यो की निर्माण स्थिति खराब थी तत्संबंध में मूल्यांकन दल द्वारा गहन जानकारी करने पर पाया कि इसके निम्नांकित कारण थे :–

(i) बाड़मेर जिले की बायतू पं. सं. में निर्मित उप –स्वास्थ्य केन्द्र की छत का मरम्मत कार्य भली प्रकार न होने से दीवार के पास दरार होने के कारण दीवारो के पास से बारिश का पानी टपकता था, तथा

(ii) टोंक जिले में देवली पं. सं. में निर्मित पानी की टंकी की नींव मजबूत न होने तथा सीमेण्ट के प्लास्टर की पर्याप्त तराई न होने से टंकी में 3–4 जगह दरार पड़ गयी थी।

3.14.4 अतः खराब/असंतोषप्रद निर्माण स्थिति वाले कार्यो को सी.सी. जारी करते समय अथवा अन्तिम किश्त के भुगतान के समय निर्माण एजेन्सी को जिम्मेदार ठहराते हुए कार्य की गुणवत्ता की पर्याप्त जांच करानी आवश्यक है ताकि जनता/समाज को परिसम्पत्ति का लम्बे समय तक लाभ मिल सकें तथा धन के अपव्यय को रोका जा सकें।

3.15.0 निर्मित कार्यो का उपयोग :

3.15.1 पूर्ण निर्मित 67 कार्यो में से सर्वे दिनांक को 64 (95.52 प्रतिशत) कार्यो का उपयोग किया जा रहा था एवं 3 (4.48 प्रतिशत) कार्यो का उपयोग नही किया जा रहा था जिन 3 कार्यो का उपयोग नही किया जा रहा था तत्संबंध में जानकारी करने पर उनके निम्न कारण थे :–

(1) बाड़मेर जिले में शिव पं. स. में सरकारी विद्यालय की चारदीवारी चारों ओंर से (मात्र $1\ ^{1}/_{2}$ साईड से स्वीकृत है) स्वीकृत नही होने के कारण निर्मित कार्य का उपयुक्त उपयोग नही हो पा रहा था।

(2) जबकि टोंक जिले में देवली पं. सं. में निर्मित पानी की टंकी में ऊपर कई जगह दरार पड़ने से पानी निर्धारित मात्रा के पश्चात् रिसने तथा टोडारायसिंह पं. स. में निर्मित विश्राम गृह में विद्युत फिटींग न होने के कारण कार्य का पूर्ण उपयोग नही हो पा रहा था।

3.15.2 अतः निष्कर्ष रूप में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि आवंटित राशि की सीमितता को देखते हुए उन्ही कार्यो का चयन किया जावे जो निर्धारित बजट राशि में पूर्ण करवाये जा सकें अन्यथा/अन्य योजना के साथ डावटेलिंग कर अथवा जन सहयोग से कार्य को पूर्ण करवाया जावें ताकि कार्य का पूर्णतः समुचित सदुपयोग किया जा सकें।

3.16.0 कार्य/परिसम्पत्ति का रख–रखाव की स्थिति :

3.16.1 चयनित 72 कार्यो के भौतिक सत्यापन के समय पूर्ण निर्मित 67 कार्यों में से अधिकांश 35 (52.24 प्रतिशत) कार्यो का रख–रखाव ग्राम पंचायत द्वारा ही किया जाना अवगत कराया गया जबकि शेष 32 (47.76 प्रतिशत) कार्यो का रख–रखाव संबंधित विभाग, जिसके परिक्षेत्र में योजनान्तर्गत उक्त कार्य करवाये गये थे, उन्ही के द्वारा किया जा रहा था।

3.16.2 अध्ययन के दौरान यह भी जानकारी करने का प्रयास किया गया कि निर्मित संसाधनो के रख–रखाव की स्थिति कैसी है। इस संबंध में की गयी जानकारी का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :–

तालिका–10

कार्य/परिसम्पति के रखरखाव की स्थिति

क्र. सं.	चयनित जिलों के नाम	चयनित कार्यो की संख्या	पूर्ण किये गये कार्यो की संख्या	कार्य/ परिसम्पति के रखरखाव की स्थिति		
				अच्छी	साधारण	खराब
1	बाड़मेर	10	10	7	3	–
2	बूंदी	10	6	6	–	–
3	दौसा	10	10	6	3	1
4	धौलपुर	11	11	4	6	1
5	हनुमानगढ़	10	10	10	–	–
6	राजसमंद	10	9	8	1	–
7	टोंक	11	11	8	3	–
	योग प्रतिशत	**72**	**67**	**49 73.13%**	**16 23.88%**	**2 2.99%**

3.16.3 उक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित 72 कार्यो में पूर्व निर्मित 67 कार्यो के रख–रखाव की स्थिति में 49 (73.13 प्रतिशत) कार्यो की अच्छी, 16(23.88 प्रतिशत) कार्यो की साधारण जबकि 2 (2.99 प्रतिशत) कार्यो के रख–रखाव की स्थिति खराब पाई गयी।

3.16.4 जिन–जिन कार्यो के रख–रखाव की स्थिति अच्छी नही थी उनमें एक कार्य दौसा जिले की पं. सं. दौसा में सी.सी. रोड़ निर्माण का जबकि दूसरा कार्य धौलपुर जिले की पं. स. बसेड़ी में श्मशान घाट की चारदीवारी का कार्य सम्मिलित था।

3.16.5 निर्मित परिसम्पत्ति के रख–रखाव की स्थिति खराब पाये जाने के मुख्य कारणो में ग्राम पंचायत की उदासीनता तथा ग्रामवासियों द्वारा सम्पत्ति की तोड़फोड़ किया जाना प्रमुख है। अतः सार्वजनिक सम्पत्ति के उचित रखरखाव हेतु ग्राम पंचायत को पहल करते हुये ग्रामवासियों को सम्पति को क्षति न पहुंचाने हेतु पाबन्द करना चाहिये तथा नियमों की अवहेलना करने पर जुर्माना वसूलने/सम्पत्ति को स्वंय के खर्चे पर पुनः दुरस्त कराने का प्रावधान रखना चाहिये।

3.17.0 किश्तो का भुगतान :

3.17.1 चयनित 72 कार्यो के भौतिक सत्यापन के दौरान निर्मित परिसम्पत्ति के निर्माण हेतु प्राप्त आंवटित राशि की किश्ते यथा समय प्राप्त हुयी अथवा नही, के संबंध में जानकारी करने पर अवगत कराया गया कि 64 (88.89 प्रतिशत) कार्यो हेतु किश्ते समय पर प्राप्त हो गयी थी जबकि 7 (9.72 प्रतिशत) कार्यो हेतु किश्ते यथासमय प्राप्त नही होना अवगत कराया गया। 1(1.39 प्रतिशत) कार्य हेतु इस संबंध में कोई उत्तर नही दिया गया।

3.17.2 जिन 7 कार्यो हेतु किश्ते समय पर प्राप्त न होना अवगत कराया गया उनमें 4 (57.14 प्रतिशत) कार्यो में सी.सी. देरी से भिजवाने, 1(4.28 प्रतिशत) कार्य में श्रमिक अनुपलब्धता के कारण समय पर कार्य पूरा न होने से अगली किश्त प्राप्ति में देरी, 1(14.28 प्रतिशत) कार्य में निर्मित परिसम्पत्ति का संबंधित विभाग को हस्तान्तरण में विलम्ब तथा 1 (14.28 प्रतिशत) कार्य में संशोधित वित्तीय स्वीकृति देरी से जारी होने के कारण किश्त का समय पर नही प्राप्त होना अवगत कराया गया।

3.17.3 अतः निष्कर्षतः कुछ विशेष परिस्थितियों के अलावा अधिकांश कार्यो में किश्तों का भुगतान समय पर प्राप्त होना अवगत कराया गया जो सराहनीय है।

3.18.0 कार्य प्रारम्भ तथा पूर्ण होने में समय अंतराल :

3.18.1 चयनित जिलों में चयनित कार्यो के प्रारंभ होने तथा कार्यो के पूर्ण होने के मध्य लगने वाले समय अंतराल का विश्लेषण करने पर जानकारी निम्न प्रकार हैः–

तालिका–11

कार्य प्रारम्भ तथा पूर्ण होने में समय अंतराल

क्र. सं.	चयनित जिलों के नाम	चयनित कार्यो की संख्या	कार्य के प्रारंभ तथा कार्य के पूर्ण होने में लगने वाला समय							
			0–1 माह	1–2 माह	2–3 माह	3–4 माह	4–5 माह	5–6 माह	6 माह से अधिक	NR
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	बाड़मेर	10	3	4	1	2	–	–	–	–
2	बूंदी	6	1	2	1	1	–	1	–	–
3	दौसा	10	2	1	2	2	–	1	2	–
4	धौलपुर	11	4	1	–	1	–	–	1	4
5	हनुमानगढ़	10	4	2	1	1	–	–	2	–
6	राजसमंद	9	2	2	1	1	2	–	1	–
7	टोंक	11	2	1	3	2	1	–	1	1
	योग	**67**	**18**	**13**	**9**	**10**	**3**	**2**	**7**	**5**
	प्रतिशत		**26.87**	**19.40**	**13.43**	**14.93**	**4.48**	**2.98**	**10.45**	**7.46**

3.18.2 उक्त तालिका का अवलोकन करने से ये स्पष्ट है कि सर्वे दिनांक को 5 कार्यो का निर्माण प्रगति पर होने के कारण पूर्ण निर्मित 67 कार्यो में से 18 (26.87 प्रतिशत) कार्यो का निर्माण कार्य एक माह के अन्दर ही पूर्ण करवा लिया गया जबकि 13 (19.40 प्रतिशत) कार्यो में 1 से 2 माह, 9 (13.43 प्रतिशत) कार्यों को 2 से 3 माह, 10 (14.93 प्रतिशत) कार्यों में 3 से 4 माह, 3 (4.48 प्रतिशत) कार्यो में 4 से 5 माह तथा 2 (2.98 प्रतिशत) कार्यो में 5 से 6 माह का समय लगा जबकि 7 (10.45 प्रतिशत) कार्य ऐसे थे जिनके निर्माण में 6 माह से भी अधिक समय लगा। इस संबंध में 5 (7.46 प्रतिशत) कार्यो के बारे में कोई जानकारी नही मिल सकी।

3.18.3 कार्य के निर्माण में अधिक समय लगने की जानकारी पर निम्न कारण बताये गये :–

(i) परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु प्रस्तावित कार्य स्थल पर विवाद/अतिक्रमण के कारण कार्य के निर्माण में अनावश्यक विलम्ब होता है। अतः सुझाव है कि अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही कर भू–अतिक्रमण को हटाया जावे।

(ii) योजनान्तर्गत कार्यो के निर्माण में विलम्ब का प्रमुख कारण श्रमिक समस्या का आम तौर पर होना अवगत कराया गया क्योंकि फसल कटाई के समय श्रमिकों को कृषि कार्य में अपेक्षाकृत अधिक मजदूरी दर प्राप्त होने से श्रमिक निर्माण कार्य में अधिक रूचि नही लेते तथा साथ ही नरेगा योजना में श्रमिक टास्क आधार पर कार्य करना अधिक पसंद करते है जहां उन्हें दैनिक मजदूरी कम समय में ही अपेक्षाकृत अधिक मिल जाती है।

————

अध्याय–चतुर्थ

सृजित रोजगार एवं सुझाव

4.0 अध्ययन परिणाम चयनित 7 जिलों यथा बाड़मेर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, राजसमन्द एवं टोंक की चयनित 14 पंचायत समितियों के श्रमिक लाभार्थियों एवं 79 सरकारी/गैर सरकारी अधिकारियों से प्राप्त जानकारी एवं अन्वेषकों के अवलोकन पर आधारित है।

4.0.1 क्षेत्रीय कार्य के दौरान 72 कार्यों का अवलोकन कर नियोजित किये गये 202 श्रमिक लाभार्थियों से साक्षात्कार कर योजना के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श कर योजना के प्रभाव एवं वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त की गई। इसके अतिरिक्त योजना के क्रियान्वयन से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से जुडे 79 सरकारी/गैर सरकारी अधिकारियों जन प्रतिनिधियों से सम्पर्क कर उनके विचार एवं प्रतिक्रिया प्राप्त की गयी। अध्ययन हेतु चयनित 7 जिलों में चयनित प्रतिदर्श का विवरण निम्नानुसार हैः

तालिका–1

अध्ययन हेतु सूचना एक. किये गये स्तरों का विवरण

क्र.सं.	चयनित जिलों के नाम	चयनित कार्यो की संख्या	श्रमिक लाभार्थी अनुसूची	कार्यकारी अनुसूची
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	बाड़मेर	10	30	11
2	बूंदी	10	30	13
3	दौसा	10	30	11
4	धौलपुर	11	27	7
5	हनुमानगढ़	10	22	12
6	राजसमंद	10	30	8
7	टोंक	11	33	17
	योग	**72**	**202**	**79**

4.1 चयनित श्रमिक लाभार्थियों की जाति एवं श्रेणी

4.1.1 योजनान्तर्गत अध्ययन हेतु चयनित कुल 202 श्रमिक लाभार्थियों की जाति एवं श्रेणी के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाओं का विवरण निम्नानुसार पाया गया–

तालिका–2

श्रमिक लाभार्थी उतरदाताओं का जाति एवं श्रेणीवार विवरण

क्र. सं.	चयनित जिलों के नाम	श्रमिक लाभार्थी की कुल संख्या	जाति संख्या			श्रेणी(संख्या)		
			अनु. जनजाति	अनु. जनजाति	अन्य	ए.पी.एल	बी.पी.एल	अन्य
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	बाड़मेर	30	18	–	12	15	15	–
2	बूंदी	30	15	5	10	9	21	–
3	दौसा	30	22	4	4	21	9	–
4	धौलपुर	27	15	–	12	16	9	2
5	हनुमानगढ़	22	–	15	7	14	8	–
6	राजसमंद	30	12	14	4	8	22	–
7	टोंक	33	12	4	17	19	14	–
	योग	**202**	94	42	66	102	98	2

4.1.2 उपरोक्त सारणी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कुल चयनित 202 श्रमिक उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 94 (46.5 प्रतिशत) अनुसूचित जाति, 66 (32.7 प्रतिशत) अन्य जाति वर्ग के एवं शेष सबसे कम 42 (20.8 प्रतिशत) अनु.जनजाति वर्ग के पाये गये।

4.1.3 इसी प्रकार कुल चयनित 202 श्रमिक लाभार्थियों में से 102(50.5 प्रतिशत) ए.पी. एल., 98(48.5 प्रतिशत) गरीबी रेख से नीचे एवं केवल मात्र 2(1.0 प्रतिशत) अन्य श्रेणी के श्रमिक पाये गये।

4.2 आयुः

अध्ययन हेतु चयनित 202 श्रमिक लाभार्थियों का आयु सम्बन्धी विवरण निम्न सारणी से स्पष्ट हैः

तालिका–3
श्रमिक लाभार्थियों का आयु सम्बन्धी विवरण

क्र.सं	आयु (वर्षों में)	श्रमिक उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	18 वर्ष से कम	–	–
2	18–30	72	35.7
3	31–40	93	46.0
4	41 एवं अधिक	37	18.3
	योग	202	100 प्रतिशत

4.2.1 उपरोक्त आयु सम्बन्धी विवरण के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि कुल चयनित 202 लाभार्थी श्रमिकों में से 72 (35.7 प्रतिशत) 18 से 30 वर्ष तक की आयु के 93(46.0 प्रतिशत) 31 से 40 वर्ष एवं शेष 37(18.3 प्रतिशत) 41 वर्ष से अधिक उम्र में पाये गये। उपरोक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आयु सीमा 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी श्रमिक को नियोजित नहीं किया गया है।

4.3 योजना की जानकारीः

4.3.1 क्षेत्रीय कार्य के दौरान अध्ययन हेतु चयनित 202 श्रमिक लाभार्थियों से योजना के संचालन की जानकारी है या नहीं के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त की गई। चयनित 202 श्रमिक उत्तरदाताओं में से 190(94.1 प्रतिशत)ने स्व विवेक विकास योजना का संचालित होने की जानकारी होना अवगत कराया। शेष राजसमन्द जिले के 12 (5.9 प्रतिशत) श्रमिकों ने योजना संचालन की जानकारी के बारे में नकारात्मक उत्तर दिया।

4.4 योजनान्तर्गत कार्यों में मजदूरी हेतु चयन'

4.4.1 योजनान्तर्गत चयनित श्रमिक लाभार्थियों से कार्यों में मजदूरी हेतु चयन के बारे में प्राप्त जानकारी का विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा हैः

तालिका–4

मजदूरी हेतु चयन का आधार

क्र. सं.	चयनित जिलों के नाम	श्रमिक लाभार्थी की कुल संख्या	मजदूरी हेतु चयन का आधार					
			गरीबी रेखा के नीचे होने के कारण	महिला होने के कारण	स्थानीय व्यक्ति होने के कारण	कारीगर होने के कारण	अनु. जाति/जनजाति होने के कारण	अन्य मजदूरी मिलने के कारण
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	बाड़मेर	30	15	6	–	–	4	5
2	बूंदी	30	19	5	1	2	–	3
3	दौसा	30	5	8	11	–	1	5
4	धौलपुर	27	4	–	–	4	–	19
5	हनुमानगढ़	22	10	1	4	–	–	7
6	राजसमंद	30	13	13	–	4	–	–
7	टोंक	33	11	2	16	–	–	4
	योग	**202**	77	35	32	10	5	43

4.4.2 उपरोक्त सारणी के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि कुल चयनित 202 श्रमिक लाभार्थियों में से अधिकतम 77(38.1 प्रतिशत) श्रमिकों का चयन गरीबी रेखा के नीचे होने 43 (21.3 प्रतिशत) का अन्य मजदूरी नहीं मिलने के कारण 35 (17.3 प्रतिशत) का महिला होने के कारण, 32(15.8 प्रतिशत) का स्थानीय नागरिक होने के कारण, 10 (5.0 प्रतिशत) श्रमिकों को कारीगर होने के कारण एवं शेष 5(2.5 प्रतिशत) का अनु. जाति एवं जनजाति वर्ग का होने को आधार मानकर योजनान्तर्गत निर्मित कार्यों में मजदूरी हेतु चयन किया गया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि योजनान्तर्गत सभी वर्ग के लोगों के उचित प्राथमिकता दी गई है।

तालिका–5

मजदूरी भुगतान का अन्तराल

क्र. सं.	चयनित जिलों के नाम	श्रमिक लाभार्थी की कुल संख्या	योजनान्तर्गत मजदूरी भुगतान का दिवस अन्तराल				
			प्रतिदिन	साप्ताहिक	पाक्षिक	मासिक	एक मुश्त
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	बाड़मेर	30	–	–	30	–	–
2	बूंदी	30	–	27	3	–	–
3	दौसा	30	–	–	30	–	–
4	धौलपुर	27	–	–	2	6	19
5	हनुमानगढ़	22	–	9	12	–	1
6	राजसमंद	30	–	–	15	15	–
7	टोंक	33	1	–	30	–	2
	योग	**202**	1	36	122	21	22

4.4.3 उपरोक्त तालिका से प्राप्त जानकारी के अनुसार चयनित 202 लाभार्थी श्रमिकों में से सर्वाधिक 122(60.4 प्रतिशत) ने पाक्षिक अर्थात 15 दिवस में, 36 (17.8 प्रतिशत) ने साप्ताहिक अर्थात सात दिन में 22 (10.9 प्रतिशत) ने एकमुश्त, 21(10.4 प्रतिशत) ने मासिक एवं शेष 1(0.5 प्रतिशत) ने प्रतिदिन मजदूरी का भुगतान किया जाना अवगत कराया।

4.4.4 चयनित लाभार्थियों से योजनान्तर्गत मजदूरी दर एवं बाजार दर में तुलनात्मक जानकारी प्राप्त की गयी। चयनित 202 लाभार्थी श्रमिकों में से 77(38.1 प्रतिशत) ने बराबर, 64(31.7 प्रतिशत) ने ज्यादा एवं 61(30.2 प्रतिशत) श्रमिकों ने बाजार दर से मजदूरी दर कम होना अवगत कराया।

4.5 कार्यवार मजदूरी एंव अवधिः

4.5.1 चयनित श्रमिक लाभार्थियों से यह भी जानकारी प्राप्त की गई कि उन्होने योजनान्तर्गत सम्पादित कौन–कौन से कार्यों पर मजदूरी की। तत्सम्बन्ध में नियोजित श्रमिकों द्वारा प्राप्त जानकारी का कार्यवार एवं जिलेवार विवरण निम्नानुसार पाया गयाः

तालिका–6

कार्यवार मजदूरी का विवरण

क्र. सं	निर्मित कार्यों के नाम	जिलेवार श्रमिक लाभार्थियों की संख्या							
		बाडमेर	बून्दी	दौसा	धौलपुर	हनुमानगढ़	राजसमन्द	टोंक	योग
1	चारदीवारी निर्माण	12	8	12	24	6	–	3	65
2	टीन शेड निर्माण	–	3	–	–	–	–	–	3
3	हैण्डपम्प/कुए गहरे करना/टयुबवैल मोटर	–	3	–	–	–	–	6	9
4	महिला कॉलेज में शौचालय एवं सुलभ काम्प्लेक्स	–	–	12	–	3	–	–	15
5	पुरानी जेल की मरम्मत कार्य/प्रतिक्षालय निर्माण	9	3	6	–	–	–	–	12
6	सड़क/पुलिया निर्माण	–	3	–	–	3	18	15	42
7	आंगनवाड़ी भवन/सामुदायिक भवन/नागरिक परामर्श केन्द्र निर्माण/पटवारघर	3	7	–	3	3	12	3	27
8	साइकल स्टैण्ड/बस स्टैण्ड/ड्राईवर रूम	–	3	–	–	1	–	3	11
9	पानी की टंकी/खेली	6	–	–	–	–	–	3	9
10	नाला/जाली निर्माण	–		–	–	1	–	–	4
11	राजीव गान्धी स्टेडियम	–		–	–	4	–	–	4
12	एन.आर	–	–	–	–	1	–	–	1
	योग	**30**	**30**	**30**	**27**	**22**	**30**	**30**	**202**

4.5.2 उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि श्रमिक लाभार्थियों ने चयनित जिले में योजनान्तर्गत निर्मित विभिन्न कार्यों पर मजदूरी का लाभ प्राप्त किया।

4.5.3 चयनित श्रमिक लाभार्थियों ने विभिन्न निर्मित कार्यो पर कितने दिवस तक कार्य किया का विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा हैः

तालिका–7
श्रमिक लाभार्थियों की रोजगार अवधि

क्र.सं.	चयनित जिलों के नाम	श्रमिक लाभार्थी की कुल संख्या	लाभार्थी श्रमिकों के मानव दिवस					
			15 दिन से कम	15 दिन से 30 दिन	31 से 45 दिन	46 दिन से 60 दिन	60 दिन से अधिक	एन. आर
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	बाड़मेर	30	4	14	6	4	2	–
2	बूंदी	30	14	10	3	3	–	–
3	दौसा	30	15	10	2	–	3	–
4	धौलपुर	27	26	1	–	–	–	–
5	हनुमानगढ़	22	2	8	4	1	3	4
6	राजसमंद	30	16	4	4	3	3	–
7	टोंक	33	18	12	–	–	3	–
	योग	**202**	95	59	19	11	14	4

4.5.4 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि चयनित 202 लाभार्थी श्रमिक में से अधिकतम 95 (47.0) श्रमिकों ने 15 दिन से कम, 59(29.2 प्रतिशत) ने 15 से 30 दिन तक, 19(9.4 प्रतिशत) ने 31 ये 45 दिन, 11(5.5 प्रतिशत) ने 46 दिन से 60 दिन तथा 14(6.9 प्रतिशत) श्रमिकों ने 60 दिनों से अधिक की अवधि तक नियोजत होकर कार्य किया। हनुमानगढ़ जिले के 4(2.0प्रतिशत) श्रमिक लाभार्थियों द्वारा कोई जानकारी नहीं दिया जाना पाया गया।

4.6 मजदूरी पर भुगतानः

4.6.1 चयनित 202 लाभार्थी श्रमिकों में से 183(90.6 प्रतिशत) श्रमिक लाभार्थियों ने निर्धारित नार्म्स अनुसार ही मजदूरी दिया जाना अवगत कराया। निर्धारित मजदूरी दर प्राप्त करने वाले 183 श्रमिक लाभार्थियों में से 83 (45.5 प्रतिशत)श्रमिक लाभार्थियों ने पृथक पृथक दरबताई है। 27 श्रमिकों ने 100 रूपये प्रतिदिन,20 श्रमिकों 120 रू. प्रतिदिन, 37 श्रमिक लाभार्थियों ने 140 से 150 रूपये प्रतिदिन एवं शेष 12 ने 175 से 200 रूपये तक प्रतिदिन मजदूरी का भुगतान किया जाना अवगत कराया। हनुमानगढ़ जिले के 4 श्रमिक लाभार्थियों द्वारा भुगतान सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नहीं करवायी गयी। अतः योजनान्तर्गत सम्पादित कार्यों के लिए बेलदार को 73 रूपये प्रतिदिन एवं कारीगर/मिस्त्री 100 से 200 रूपये प्रतिदिन की मजदूरी प्राप्त होना अवगत कराया गया।

4.6.2 अध्ययन हेतु चयनित 202 लाभार्थी श्रमिकों में से राजसमन्द जिले 19(9.4 प्रतिशत) श्रमिकों ने निर्धारित दर से कम मजदूरी दिया जाना अवगत कराया। सभी 19 श्रमिकों ने अवगत कराया कि बेलदारों के लिए निर्धारित मजदूरी दर 73 रूपये है जबकि 4 श्रमिकों को 50 रूपये एवं 15 श्रमिकों को 60 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दिया जाना अवगत करया। अतः सुझाव है कि सभी श्रमिकों को निर्धारित दर अनुसार ही मजदूरी भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

4.7 कार्य स्थल का चयनः

योजनान्तर्गत निर्मित कार्यों का एवं कार्य स्थल के चयन की उपयुक्तता सम्बन्धी जानकारी करने पर चयनित शत प्रतिशत लाभार्थी श्रमिकों/ कार्यकारी वर्ग ने कार्य एवं कार्य स्थल का चयन उपयुक्त एवं ठीक होना अवगत कराया।

4.8 योजनान्तर्गत निर्मित कार्यों की गुणवत्ताः

4.8.1 चयनित लाभार्थी श्रमिकों एवं कार्यकारी वर्ग से निर्मित कार्यों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया प्राप्त की गई। प्राप्त जानकारी का विवरण निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट है::

तालिका–8

निर्मित कार्यों की गुणवत्ता

क्र.सं.	चयनित उत्तरदाता की श्रेणी	चयनित उत्तरदाताओं की संख्या	निर्मित कार्यों की गुणवत्ता		
			अच्छी	ठीक	ठीक नहीं
1	श्रमिक लाभार्थी	202	132	62	8
2	कार्यकारी	79	67	11	1

4.8.2 उपरोक्त तालिका के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि चयनित 202 लाभार्थी श्रमिकों में से 132(65.3 प्रतिशत) ने कार्य की गुणवत्ता अच्छी 62(30.7 प्रतिशत) ने ठीक एवं शेष 8(4.0 प्रतिशत) ने गुणवत्ता ठीक नहीं होना अवगत कराया।

इसी प्रकार चयनित 79 कार्यकारी वर्ग मे से अधिकतम 67(84.8 प्रतिशत) ने कार्य की गुणवत्ता अच्छी 11(13.9प्रतिशत) ने ठीक एवं केवल 1(1.3 प्रतिशत) ने गुणवत्ता ठीक नहीं होना अवगत कराया। निष्कर्षतः अधिकांश कार्यों की गुणवत्ता अच्छी एवं ठीक पाई गयी।

4.9 निर्मित कार्यों की उपयोगिता एंव रखरखावः

4.9.1 निर्मित कार्यों की उपयोगिता के सम्बन्ध में शतप्रतिशत श्रमिक लाभार्थियों एवं कार्यकारी वर्ग ने निर्मित कार्यों को उपयोगी होना अवगत कराया है। कार्यों के रखरखाव के सम्बन्ध में लगभग 95 प्रतिशत श्रमिक लाभार्थी एवं कार्यकारी वर्ग ने अवगत कराया कि निर्मित कार्यों का रखरखाव ग्राम पंचायत एवं जनसमुदाय द्वारा अच्छी तरह से किया जा रहा है। शेष 5 प्रतिशत श्रमिक लाभार्थी एवं कार्यकारी वर्ग ने अवगत कराया कि निर्मित कार्यों की रखरखाव व्यवस्था खराब है। रखरखाव व्यवस्था खराब होने का कारण ग्राम पंचायतों में स्टाफ की कमी, बजट का अभाव आदि बताया। अतः सुझाव है कि निर्मित कार्यों के रखरखाव हेतु ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त स्टाफ/ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की व्यवस्था की जावे एवं अलग से बजट दिया जावे।

कार्यों के उपयोग की समयावधि के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर चयनित 202 लाभार्थी श्रमिकों में से 180(89.1 प्रतिशत) ने कार्य का उपयोग पूर्ण वर्ष 16(7.9 प्रतिशत) ने सीजनल एवं शेष 6(3.0 प्रतिशत) ने कभी कभी होना अवगता कराया।

4.10 निर्मित कार्यों से उपलबध सुविधाएं एवं लाभः

4.10.1 योजनान्तर्गत निर्मित कार्यों से ग्रामों में निम्न सुविधाएं एवं लाभ प्राप्त हुएः

i आंगनवाड़ी भवनों के निर्मित हो जाने से कार्य संचालन में सुविधा मिली है। ग्राम के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा, टीकाकरण एवं पोषाहार वितरण में सुविधा मिली है।

ii स्कूल एवं स्काउट गाईड मैदान की चार दीवारी का निर्माण हो जाने से स्कूल एवं बच्चों की सुरक्षा बढ़ी है। साथ ही वृक्षारोपण करने की सुविधा मिली है।

iii स्थायी परिसम्पतियों का निर्माण हो जाने से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पर रोक लगी है।

iv हैण्ड पम्प एवं कूप गहरे करवाने एवं टयूब वैल मीटर से पेयजल सुविधा बढ़ है।

v महिला कॉलेज में शौचालय निर्माण से महिलाओं को आधारभूत सुविधा प्राप्त हुई है।

vi गांवों में सड़क निर्माण से आवागमन सुविधाजनक हुआ है।

vii जेल में प्रतिक्षालय निर्माण से कैदियों से मिलने वालों को बैठने की सुविधा प्राप्त हुई है।

viii सामुदायिक भवन/ ग्राम पंचायत भवन निर्माण से बैठकें एवं सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की सुविधा प्राप्त हुई

ix गांवों में सुलभ काम्प्लेक्स बन जाने से ग्रम वासियों को आधारभूत सुविधा प्राप्त हुई है एवं गांवों में स्व्च्छता बढ़ी है।

x पानी की टंकी/जानवरों के पानी पीने की खेली का निर्माण होने से जानवरों को पीने की पानी की सुविधा प्राप्त हुई है।

xi ग्रामीणों को रोजगार मिलने से आय में वृद्धि हुई है एवं सामाजिक/आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर में सुधार हुआ है।

xii ग्राम सेवक का आवास बनने से ग्राम सेवक की हर समय गांव में उपलब्धता रहती है।

xiii नाली निर्माण से गांव में कीचड़ से मुक्ति मिली है।

xiv स्टेडियम का निर्माण होने से खिलाड़ियों को खेलने एवं दर्शकों हेतु बैठने की सुविधा प्राप्त हुई है।

4.11 कार्यों की स्वीकृति एवं राशि की पर्याप्तताः

4.11.1 क्षेत्रीय कार्य के दौरान योजनान्तर्गत कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति समय पर प्राप्त हो जाती है के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर चयनित 79 कार्यकारी वर्ग में से 54(68.3 प्रतिशत) ने सकारात्मक एवं 25(31.7 प्रतिशत) ने नकारात्मक जानकारी उपलब्ध करायी। नकारात्मक उत्तरदाताओं ने बजट के अभाव में एवं अधिक आवश्यकता वाले कार्यों को प्राथमिकता दिये जाने के कारण आवेदित सभी कार्य स्वीकृत नहीं किया जाना अवगत कराया।

4.11.2 डवटेलिंग कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में, 79 कार्यकारी वर्ग में से 10(12.7 प्रतिशत) ने हॉ एवं शेष 69(87.3 प्रतिशत) ने डवटेलिंग कार्य नहीं करवाया जाना अवगत कराया।

4.11.3 अध्ययन हेतु चयनित कार्यकारी वर्ग से कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नहीं होने के कितने समय पश्चात् कार्य प्रारम्भ करवा दिए जाते है के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर चयनित 79 कार्यकारी वर्ग में से 20(25.3 प्रतिशत) ने एक माह से कम, 51(64.6 प्रतिशत) ने एक से दो माह 8(10.1 प्रतिशत) ने दो से तीन माह की अवधि में कार्य प्रारम्भ करवाना अवगत कराया। उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने के 1 से 3 माह की अवधि में कार्य प्रारम्भ कर दिये जाते है।

4.11.4 क्षेत्रीय कार्य के दौरान चयनित कार्यकारी वर्ग से योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों हेतु राशि की पर्याप्तता सम्बन्धी जानकारी भी प्राप्त की गई। चयनित 79 कार्यकारी वर्ग में से 73(92.4 प्रतिशत) ने अवगत कराया कि स्वीकृत राशि में ही कार्य पूर्ण करवा लिये जाते है। शेष 6(7.6 प्रतिशत) ने अवगत कराया कि स्वीकृत राशि में कार्य पूर्ण नहीं हो पाते है ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा अन्य मदों से राशि हस्तान्तरण कर कार्य पूर्ण कराये जाते हैं। जनसहयोग से भी कुछ कार्य पूर्ण करवा लिये जाते है। उपरोक्त दोनों व्यवस्था नहीं होने पर संशोधित प्रस्ताव भेजकर मौका जांच करवायी जाती है तथा संशोधित राशि द्वितीय किश्त के साथ प्राप्त होती है। अतः सुझाव है कि निर्मित कार्य हेतु पर्याप्त बजट एक मुश्त दिया जाना चाहिए।

4.12 कार्य पूर्ण होने की अवधिः

4.12.1 राशि स्वीकृति से कितने माह बाद कार्य पूर्ण हो जाते है के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर चयनित 79 कार्यकारी वर्ग में से 23(28.6 प्रतिशत) ने 1–2 माह, 24(30.4 प्रतिशत) ने 2–3 माह एवं शेष 32(40.5 प्रतिशत) ने 3 माह से अधिक समय में कार्य पूर्ण होना अवगत कराया। कार्यकारी वर्ग ने अवगत कराया कि कार्य हेतु बजट आवंटन एक मुश्त नहीं मिलता किश्तों में बजट आवंटन, मजदूरी की अनुपलब्धता, भूमि विवाद कार्यकारी संस्था की अरूचि एवं ग्राम पंचायत स्तर पर अन्य योजनाओं के कार्यों की अधिकतम सामग्री के दरों में वृद्धि होने से लागत में वृद्धि आदि विलम्ब से मुख्य कारण रहे है। अतः सुझाव है कि विभागीय स्तर पर उपरोक्त कारणें को गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए निराकरण के प्रयास किये जाने चाहिये।

4.13 कार्यों का निरीक्षणः

चयनित शतप्रतिशत कार्यकारी वर्ग ने कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात् जिला स्तरीय अधिकारियों, पंचायत समिति के अधिकारियों एवं अभियन्ताओं द्वारा समय समय पर निरीक्षण करना अवगत कराया।

4.14 योजना की कठिनाईयां एवं सुझावः

4.14.1 योजना के मूल्यांकन अध्ययन हेतु प्रत्येक संभाग से एक एक जिले अर्थात 7 जिलों का चयन कर अध्ययन हेतु प्राप्त प्रलेखीय सूचनाओं, योजना से लाभान्वित श्रमिकों/चयनित जिलो के सरकारी/गैर सरकारी कार्यकारी उत्तरदाताओं से साक्षात्कार से प्राप्त सूचनाओं, प्रतिक्रियाओं के साथ ही क्षेत्रीय कार्य के दौरान मूल्यांकन दल द्वारा किये गये अवलोकन/ भौतिक सत्यापन के आधार पर कार्यक्रम क्रियान्वयन, संचालन एवं सम्पादन में अनुभूत कमियों एंवं कार्यक्रम को अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने हेतु निम्नांकित सुझाव दिए जा रहे हैः

1 **आवंटित राशि की पर्याप्तताः**

क्षेत्रीय कार्य के दौरान यह अनुभूत हुआ कि योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों के विपरीत आवंटित राशि अपर्याप्त एवं प्रथम किश्त की राशि कम होती है। जिसके कारण कार्य सम्पादन में कठिनाइयां आती है, एवं कार्य की गुणवता प्रभावित होती है तथा श्रम व सामग्री के प्रचलित दरों के अनुरूप निर्माण कार्य सम्पादन में काफी कठिनाई आती है। इस हेतु निम्न सुझावों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

i आंवटित राशि पर्याप्त मात्रा में एक मुश्त उपलब्ध करवायी जानी चाहिये ताकि कार्य समय पर निर्बाध रूप से पूर्ण करवाये जा सके।

ii प्रचलित दरों को वर्तमान बाजार दर के अनुसार व्यवहारिक बना कर राशि आवंटित किया जाना प्रस्तावित है।

2 कई कार्य सम्बन्धित विभाग जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगरपालिका इत्यादि से करवाये गये हैं इन विभागों की कार्य प्रणाली ठेके पर कार्य करवाने की है। अतः निर्णयानुसार तकनीकी स्वीकृति दिया जाना आवश्यक हो जाता है। ऐसी स्थिति ऑडिट आक्षेप बन जाते है। इस बारे में राज्य स्तर पर समुचित संशोधन किया जाना उचित होगा।

3 **मजदूरी दर कम हैः**

श्रमिकों की मजदूरी दर नरेगा योजना एवं बाजार दर से कम होने के कारण श्रमिक अनुपलब्ध रहते है तथा अन्य योजनाओं में काम करने में रूचि रखते है। अतः सुझाव है कि मजदूरी दर संशोधित कर नरेगा योजना के समकक्ष की जावे।

4 **भूमि विवाद एवं अतिक्रमणः**

परिसम्पतियों के निर्माण हेतु प्रस्तावित कार्य स्थान पर अतिक्रमण एवं अन्य विवादों के कारण कार्य निर्माण में विलम्ब होता है।

अतः सुझाव है कि योजनान्तर्गत आवंटित कार्य हेतु भू–आवंटन के समय ही भूमि सम्बन्धी दस्तावेजों की भली भांति जांच की जानी चाहिये तथा विवादित भूमि के प्रस्तावों को स्वीकृति नहीं देनी चाहिये

5 **योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य कम हैः**

क्षेत्रीय कार्य के दौरान लाभार्थी श्रमिकों एवं कार्यकारी वर्ग ने अवगत कराया कि योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों की संख्या कम है अतः उन्हे रोजगार के कम अवसर प्राप्त होते है।

अतः सुझाव है कि योजनान्तर्गत अधिक कार्य स्वीकृत किये जाने चाहिये ताकि रोजगार सृजन में वृद्धि हो सके एवं योजना का आकार बढ़ाकर प्रत्येक ग्राम पंचायत में जनसंख्या के अनुपात में आवश्यक विकास कार्य स्वीकृत किये जाने चाहिये।

6 **अन्य कमियां एवं सुझाावः**

i निर्मित कार्यों के रखरखाव हेतु एक उतरदायी एजेन्सी का गठन किया जाना चाहिये एवं अलग बजट दिया जाना चाहिये।

ii ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कमी होने के कारण योजनान्तर्गत जल संरक्षण के कार्य अधिक करवाये जाने चाहिये

iii स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये जीविकोपार्जन हेतु कुटीर उद्योगों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये एवं कुटीर उद्योग संचालन हेतु ऋण उपलब्ध करवाया जाना चाहिये ताकि अधिक से अधिक लोगों को स्थायी रोजगार मिल सके।

iv पंचायत समिति में स्टाफ/कनिष्ठ अभियन्ता के पद रिक्त रहने के कारण उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर तैयार कर प्रेषित करने में कठिनाई आती है। अतः रिक्त पदों को समय पर भरा जाना चाहिये।

v समायोजन पश्चात् बकाया राशि समय पर नहीं मिल पाती अतः समायोजित राशि समय पर दी जावे।

vi योजना में ग्राम पंचायतों को ऐसे कार्यों के प्रस्ताव स्वीकृत कराने चाहिये जिन कार्यों को अन्य योजना में लेने की पाबन्दी हो।
इस योजना में मात्र निर्माण कार्य ही करवाये जाते है जबकि युवा शक्ति के लाभ सम्बन्धी कार्य जैसे प्रशिक्षण, रोजगार परक, कार्यों का भी समावेश होना चाहिये।

vii कार्यों की मार्गदर्शिका/ सूची को स्पष्ट किया जावे।

viii आपातकालीन स्थिति में पचायत समिति स्तर पर कार्य स्वीकृत करने का अधिकार होना चाहिये।

ix योजनान्तर्गत प्राचीन धरोहरों की मरम्मत हेतु कार्य स्वीकृत नहीं किये जाते है अतः सुझाव है कि ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों के संरक्षण विकास एवं सार सम्भाल के कार्य भी करवाये जाने चाहिये ताकि ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण के साथ ही रोजगार के अवसरों का भी सृजन हो सकेगा।

x कार्य पूर्ण होते ही मूल्यांकन करवाया जाना चाहिये ताकि अन्तिम किश्त का भुगतान प्राप्त करने विलम्ब न हो एवं राशि का समायोजन हो सके।

xi कार्यों का समय समय पर आकस्मिक निरीक्षण भी किया जाना चाहिये ताकि कार्य की गति एवं गुणवत्ता में शिथिलता न आ सके।

निष्कर्षः

अध्ययन हेतु चयनित लाभार्थियों एवं कार्यकारी वर्ग द्वारा उपलब्ध सूचनाओं तथा मूल्यांकन दल के अवलोकन से यही निष्कर्ष निकलता है कि योजनान्तर्गत स्वीकृत परिसम्पतियों का चयन स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप एवं प्राथमिकताओं के आधार पर हुआ है, योजनान्तर्गत निर्मित कार्यों से क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास से स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर पर सकारात्मक प्रभाव एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए है। परिसम्पतियों के निर्माण की गुणवत्ता भी सन्तोषप्रद पायी गयी लेकिन कुछ स्वीकृत कार्यों के समय पर पूर्ण नहीं होने के कारण आधारभूत विकास की अवधारणा के अपेक्षित प्रभाव परिलक्षित नहीं हो पाये है। अतः सम्पतियों के निर्माण के पश्चात् शीघ्र सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरण किया जावे। वर्तमान में अपूर्ण कार्य शीघ्र पूर्ण करवाये जाने चाहिये ताकि सृजित कार्यों का समुचित उपयोग हो सके। आपातकालीन स्थति जैसे आग, भूकम्प, बाढ़/ अतिवृष्टि से राहत के कार्य प्राथमिकता से करवाये जाने चाहिये। राज्य एवं जिला स्तर पर नोडल विभागों में समन्वय सुदृढ़ कर पुख्ता मोनिटरिंग की व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि योजना क्रियान्वयन गतिशील हो सके।

.....

परिशिष्ट–1

क्र. सं.	कार्यो का नाम/कार्य का श्रेणीवार विवरण	जिलेवार पंचायत समितिवार चयनित कार्यो का विवरण														
		बाड़मेर		बूंदी		दौसा		धौलपुर		हनुमानगढ़		राजसमंद		टोंक		योग
		बायतू	शिव	बूंदी	हिण्डौली	दौसा	सिकराय	धौलपुर	बसेडी	हनुमानगढ	भादरा	राजसमंद	खमनौर	देवली	टोडा–रायसिंह	
1	बस स्टेण्ड निर्माण				1										1	2
2	चार दिवारी	2	2		3	2	1	3	5						1	19
3	वृक्षारोपण			1												1
4	पेयजल संबंधी कार्य	2									1			1	2	6
5	सड़क निर्माण			1		1	1			1		1	3	4		12
6	कमरा/शेड निर्माण			3		2	3	1		2		2	1			14
7	पंचायत भवन निर्माण				1			1			1					3
8	सामुदायिक भवन											1	1		1	3
9	पटवार भवन निर्माण		1									1				2
10	पुलिया एवं रपट निर्माण										2			1		3
11	ग्राउण्ड वाटर रिजार्च									1						1
12	पानी–निकासी									1						1
13	राजीव गांधी स्टेडियम निर्माण									1						1
14	मरम्मत कार्य	1	2					1								4
	योग	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**6**	**5**	**6**	**4**	**5**	**5**	**6**	**5**	**72**

परिशिष्ट–''क''

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित ''स्वविवेक जिला विकास योजना'' के तहत करवाये गये कार्यों का मूल्यांकन के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की वर्षवार संख्या

(संख्या)

क्र. सं.	संभाग	जिला	वर्ष			
			2005–06	2006–07	2007–08	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	जयपुर	अलवर	–	4	21	25
		दौसा	–	5	58	63
		जयपुर	–	5	6	11
		झुन्झुनू	–	10	11	21
		सीकर	–	0	9	9
2.	जोधपुर	बाड़मेर	–	70	14	84
		जैसलमेर	–	73	14	87
		जालौर	–	1	26	27
		जोधपुर	–	7	9	16
		पाली	–	22	14	36
		सिरोही	–	0	63	63
3.	कोटा	बांरा	–	0	22	22
		बूंदी	–	3	19	22
		झालावाड़	–	5	21	26
		कोटा	–	0	10	10
4.	अजमेर	अजमेर	–	16	10	26
		टोंक	–	28	9	37
		भीलवाड़ा	–	19	5	24
		नागौर	–	1	32	33
5.	उदयपुर	उदयपुर	–	17	10	27
		डूंगरपुर	–	7	2	9
		चित्तौडगढ़	–	16	4	20
		बांसवाड़ा	–	0	5	5
		राजसमन्द	–	28	8	36
6.	बीकानेर	बीकानेर	–	0	16	16
		चूरू	–	0	31	31
		श्रीगंगानगर	–	3	23	26
		हनुमानगढ़	–	4	30	34
7.	भरतपुर	भरतपुर	–	0	17	17
		धौलपुर	–	19	10	29
		सवाईमाधोपुर	–	4	15	19
		करौली	–	6	14	20
		योग	**–**	**373**	**558**	**931**

परिशिष्ट–''क''

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित ''स्वविवेक जिला विकास योजना'' के तहत वर्ष 2005–06, 2006–07 एवं 2007–08 में आवंटित एवं व्यय की गयी राशि

(राशि रुपये लाखों में)

क्र. सं.	जिला	आवंटित राशि				व्यय रशि			
		2005–06	2006–07	2007–08	योग	2005–06	2006–07	2007–08	योग
1.	बाड़मेर	30.00	170.00	15.625	215.625	0.00	95.05	109.82	204.87
2.	जैसलमेर	30.00	70.00	15.625	115.625	0.00	54.72	53.74	108.46
3.	राजसमन्द	30.00	16.00	15.625	61.625	0.00	35.12	43.20	78.32
4.	पाली	30.00	16.00	15.625	61.625	0.00	4.36	56.72	61.08
5.	झालावाड़	30.00	16.00	15.625	61.625	0.00	13.86	45.54	59.40
6.	चित्तौडगढ़	30.00	16.00	15.625	61.625	0.00	12.74	38.42	51.16
7.	उदयपुर	30.00	16.00	15.625	61.625	0.00	17.80	33.12	50.92
8.	जालौर	30.00	16.00	15.625	61.625	0.00	5.50	42.74	48.24
9.	भीलवाड़ा	30.00	5.00	15.625	50.625	0.00	12.78	33.91	46.69
10.	जोधपुर	30.00	5.00	15.625	50.625	0.00	15.97	29.99	45.96
11.	सीकर	30.00	5.00	15.625	50.625	0.00	0.00	42.62	42.62
12.	दौसा	30.00	5.00	15.625	50.625	0.00	8.00	34.03	42.03
13.	भरतपुर	30.00	5.00	15.625	50.625	0.00	0.00	40.90	40.90
14.	धौलपुर	30.00	5.00	15.625	50.625	0.00	12.35	28.45	40.80
15.	अजमेर	30.00	5.00	15.625	50.625	0.00	5.91	34.77	40.68
16.	करौली	30.00	5.00	15.625	50.625	0.00	5.15	34.81	39.96
17.	सिरोही	30.00	16.00	15.625	61.625	0.00	0.00	38.28	38.28
18.	बारां	30.00	5.00	15.625	50.625	0.00	0.00	37.69	37.69
19.	चूरू	30.00	5.00	15.625	50.625	0.00	0.00	35.05	35.05
20.	कोटा	30.00	16.00	15.625	61.625	0.00	0.00	34.67	34.67
21.	हनुमानगढ़	30.00	5.00	15.625	50.625	0.00	0.00	34.63	34.63
22.	जयपुर	30.00	5.00	15.625	50.625	0.00	9.53	24.77	34.30
23.	सवाईमाधोपुर	30.00	5.00	15.625	50.625	0.00	0.00	33.63	33.63
24.	बांसवाड़ा	30.00	16.00	15.625	61.625	0.00	0.00	33.55	33.55
25.	डूंगरपुर	30.00	16.00	15.625	61.625	0.00	12.10	19.10	31.20
26.	नागौर	30.00	5.00	15.625	50.625	0.00	0.00	31.01	31.01
27.	टोंक	30.00	5.00	15.625	50.625	0.00	6.25	24.67	30.92
28.	बूंदी	30.00	5.00	15.625	50.625	0.00	0.00	30.60	30.60
29.	अलवर	30.00	5.00	15.625	50.625	0.00	0.00	30.47	30.47
30.	श्रीगंगानगर	30.00	5.00	15.625	50.625	0.00	1.20	27.76	28.96
31.	बीकानेर	30.00	5.00	15.625	50.625	0.00	0.00	26.00	26.00
32.	झुन्झुनू	30.00	5.00	15.625	50.625	0.00	1.72	22.94	24.66
	योग	**960.00**	**500.00**	**500.00**	**1960.00**	**0.00**	**330.11**	**1187.60**	**1517.71**

परिशिष्ट–1

क्र. सं.	कार्यो का नाम/कार्य का श्रेणीवार विवरण	जिलेवार पंचायत समितिवार चयनित कार्यो का विवरण														योग
		बाड़मेर		बूंदी		दौसा		धौलपुर		हनुमानगढ़		राजसमंद		टोंक		
		बायतू	शिव	बूंदी	हिण्डौली	दौसा	सिकराय	धौलपुर	बसेडी	हनुमानगढ	भादरा	राजसमंद	खमनौर	देवली	टोडा–रायसिंह	
1	बस स्टेण्ड निर्माण				1										1	2
2	चार दिवारी	2	2		3	2	1	3	5						1	19
3	वृक्षारोपण			1												1
4	पेयजल संबंधी कार्य	2									1			1	2	6
5	सड़क निर्माण			1		1	1			1		1	3	4		12
6	कमरा/शेड निर्माण			3		2	3	1		2		2	1			14
7	पंचायत भवन निर्माण				1			1			1					3
8	सामुदायिक भवन											1	1		1	3
9	पटवार भवन निर्माण		1									1				2
10	पुलिया एवं रपट निर्माण										2			1		3
11	ग्राउण्ड वाटर रिजार्च									1						1
12	पानी– निकासी									1						1
13	राजीव गांधी स्टेडियम निर्माण									1						1
14	मरम्मत कार्य	1	2					1								4
	योग	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**6**	**5**	**6**	**4**	**5**	**5**	**6**	**5**	**72**

2.5.0 वर्षवार कार्यो की उपलब्धि का विवरण :

2.5.1 अध्ययन हेतु चयनित किये गये जिलो मे कराये गये कार्यो का वर्षवार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया जा रहा है :–

(कार्य संख्या में)

क्र. सं.	चयनित जिले	2006–07						2007–08							
		अपूर्ण कार्य	कार्य प्रारम्भ नही	नये कार्य	योग	पूर्ण कार्य	रद्द कार्य	अपूर्ण कार्य	कार्य प्रारम्भ नही	नये कार्य	योग	पूर्ण कार्य	रद्द कार्य	अपूर्ण कार्य	कार्य प्रारम्भ नही
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1	टोंक	–	–	27	27	19	8	–	–	10	10	9	1	–	–
2	हनुमानगढ	1	3	4	4	–	–	1	3	27	31	30	–	1	–
3	बूंदी	–	–	3	3	3	–	–	–	23	23	12	–	9	2
4	राजसमन्द	–	–	28	28	28	–	–	–	8	8	6	1	1	–
5	धौलपुर	14	5	19	19	–	–	14	5	10	29	18		5	6
6	दौसा	–	–	5	5	5	–	–	–	58	58	52	3	3	–
7	बाडमेर	–	–	70	70	69	1	–	–	14	14	14	–	–	–
	योग	**15**	**8**	**156**	**156**	**124**	**9**	**15**	**8**	**150**	**173**	**141**	**5**	**19**	**8**
	प्रतिशत														

योग (2006–07 से 2007–08 तक)

क्र. सं.	चयनित जिले	अपूर्ण कार्य	कार्य प्रारम्भ नही	नये कार्य	योग	पूर्ण कार्य	रद्द कार्य	अपूर्ण कार्य	कार्यप्रारम्भ नही
		17	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1	टोंक			37	37	28	9	–	–
2	हनुमानगढ			35	35	30	–	2	3
3	बूंदी			26	26	15	–	9	2
4	राजसमन्द			36	36	34	1	1	–
5	धौलपुर			29	29	18	–	19	11
6	दौसा			63	63	57	3	3	–
7	बाडमेर			84	84	83	1	–	–
	योग			**306**	**306**	**265**	**14**	**34**	**16**
	प्रतिशत					**84.54**	**4.25**	**10.33**	**4.86**

नोट – वर्ष 2005–06 में कोई भी कार्य स्वीकृत नही किया गया था इसलिए सूचना नही दी गयी।

2.5.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलो में वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक कुल 329 कार्य स्वीकृत किये गये थे जिसमे से 265 (84.55 प्रतिशत) कार्य पूर्ण किये गये एवं 14(4.25 प्रतिशत) कार्य रद्द किये गये व 34 (10.33 प्रतिशत) कार्य अपूर्ण थे एवं 16 (4.86 प्रतिशत) कार्य प्रारम्भ नही हुए थे अतः स्पष्ट है कुल स्वीकृत कार्यो में से पूर्ण कार्य का प्रतिशत ठीक है। वर्षवार विश्लेषण करने से स्पष्ट हेाता है कि वर्ष 2006–07 की तुलना में चयनित जिलो मे वर्ष 2007–08 मे 4.00 प्रतिशत कम नये कार्य स्वीकृत किये परन्तु वर्ष 2007–08 मे वर्ष 2006 –07 की तुलना में 12.05 प्रतिशत कार्य अधिक पूर्ण किये गये ।

2006–07							
क्र. सं.	चयनित जिला	स्वीकृत कार्य	प्रारम्भ कार्य	व्यय राशि	प्रमाण पत्र राशि		
					उपयोगिता	पूर्णता कार्य	राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	टोंक	27	19	20.07	16.51	14	16.51
2	हनुमानगढ	4	1	16.56	16.56	1	16.56
3	बूंदी	3	3	5.10	5.10	3	5.10
4	राजसमन्द	28	28	45.30	16.00	28	46.00
5	धौलपुर	19	14	33.70	7.59	–	–
6	दौसा	5	5	20.51	17.51	4	17.51
7	बाडमेंर	70	69	178.04	156.54	65	156.54
	योग	**156**	**139**	**319.28**	**235.81**	**115**	**258.22**
	प्रतिशत	**–**	**89.10**	**–**	**73.85**	**82.73**	**80.88**

2007–08							
क्र. सं.	चयनित जिला	स्वीकृत कार्य	प्रारम्भ कार्य	व्यय राशि	प्रमाण पत्र राशि		
					उपयोगिता	पूर्णता कार्य	राशि
		9	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	टोंक	10	9	14.57	0.998	2	0.998
2	हनुमानगढ	27	30	18.07	18.07	30	18.07
3	बूंदी	23	21	23.83	14.060	11	14.06
4	राजसमन्द	8	7	11.55	0.00	6	9.55
5	धौलपुर	10	10	13.80	24.340	4	11.25
6	दौसा	58	55	27.79	19.660	26	19.66
7	बाडमेंर	14	14	34.96	26.19	12	26.19
	योग	**150**	**146**	**144.57**	**103.32**	**91**	**99.78**
	प्रतिशत	**–**	**97.33**	**–**	**71.47**	**62.32**	**69.02**